PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page I

वर्ष 69 अंक 2

ISSN 2231-2439
जुलाई-दिसंबर 2025

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
नई दिल्ली

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page II

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

Estd : 1939

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है।

डॉ. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है। संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हेतु संघ की पहल पर प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना हुई। संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशन एसोसिएशन्स', एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एण्ड एडल्ट एजूकेशन', 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' तथा 'इण्टरनेशनल लिटरेसी ऐसोसिएशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002

दूरभाषः 011–43489048

ई–मेलः directoriaea@gmail.com, iaeadelhi@gmail.com

website: www.iaea-india.com; www.iiale.org

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 1

प्रौढ़ शिक्षा

जुलाई–दिसंबर
2025
वर्ष 69 अंक 2

सम्पादक मण्डल

डा. सरोज गर्ग
श्री मृणाल पंत
श्री ए.एच.खान
सुश्री निशात फारूख

सम्पादक
सुरेश खण्डेलवाल

संयुक्त सम्पादक
राजेन्द्र जोशी

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय 2

संयुक्त सम्पादक की कलम से
संभावनाओं की राह 4

शिक्षा के साथ विद्या का समावेश : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्राथमिकता
– चित्ररेखा
– मनोज कुमार 6

प्रौढ़ शिक्षा की पुनर्रचना : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
– नवीन कुमार मोक्टा
– मोनू सिंह गुर्जर
– खुशबू 10

अधिगम कौशल विकास और शैक्षिक नीतियां
– मीनू गुप्ता 18

बुनियादी साक्षरता संबंधी सीखने के प्रतिफल 'उल्लास' प्रवेशिका का समीक्षात्मक अध्ययन
– उषा शर्मा 20

शिक्षा का अर्थ
– रिया 31

आजीवन सीखना और माध्यमिक शिक्षा
– सौरभ मिश्र 34

मूल्यः 200 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 2

सम्पादकीय

आंतरिक विषमता दूर करने के लिए आवश्यक है आजीवन शिक्षा

दुनियाभर में सरकारों की प्रकृति की यदि बात करें तो लोकतंत्र का नाम सबसे उपर आता है जिसे जनता का शासन अथवा जनतांत्रिक प्रणाली कहते हैं। सामान्य लोग हों या बुद्धिजीवि, हर कोई चाहता है कि वह लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जीवन व्यतीत करे जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका सुनिश्चित हो। भारत और यहां के सभी निवासी इस बात से सदा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यह देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मार्च 29–30, 2023 को आयोजित दूसरे "समिट ऑफ डेमोक्रेसी" में विश्व समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। वैदिक युगीन सभा–समितियों से होते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था भारतीय सभ्यता और संस्कृति ही नहीं बल्कि यहां के जीवन पद्धति का हिस्सा बन चुकी है।

पर आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित विश्व की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि अनेकों देश राजनीतिक उथल–पुथल के शिकार हो रहे हैं जहां विधिवत चुनी हुई बहुमत की सरकारें गिरने के कगार पर खड़ी दिख रही हैं। प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं विश्व बैंक के पूर्व चीफ श्री कौशिक वसु लिखते हैं कि लोकतंत्र को खतरा अधिनायकवाद से भी है। पर सबसे अधिक खतरा दिन–प्रतिदिन बढ़ती हुई आंतरिक विषमता से है जिसके कारण लोकतांत्रिक संस्थाएं तेजी से कमजोर होती जा रही हैं।

जी–20 एक्सपर्टस ऑन ग्लोबल इनइक्वेलिटि की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के सबसे असमानता वाले देशों में लोकतंत्र खत्म होने का जोखिम सामान्य देशों की तुलना में सात गुना अधिक होता है। सोशल मीडिया के दबदवे वाली दुनिया में आय की असमानता अक्सर आवजों की असमानता में बदल जाती है।

ऐसे में लोकतंत्र की रक्षा एवं जन–जन के सशक्तीकरण के लिए सभी प्रकार की असमानताओं का निराकरण और भी आवश्यक हो जाता है। भारत भी विविध प्रकार के असमानताओं से लगातार जूझ रहा है। एक के बाद एक सरकारों ने इन असमानताओं के निराकरण के लिए अनेक योजनाओं को संचालित किया है। वर्तमान में सतत विकास लक्ष्यों में से तीन यथा एसडीजी–10, एसडीजी–5 और एसडीजी–1 विशेषरूप से देश में व्याप्त विविध प्रकार के असमानताओं के उन्मुलन का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

एसडीजी–10 का लक्ष्य "देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना है। इसमें आय, लिंग, विकलांगता, नस्ल, जातीयता, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाली असमानताओं को खत्म करने और समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 3

है। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन को बढ़ावा देना भी है। एसडीजी–5 का लक्ष्य विशेषरूप से "लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को समाप्त करना है, साथ ही उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी और नेतृत्व के असवर प्रदान करना भी है। एसडीजी–1 "हर जगह, हर रूप में गरीबी को समाप्त करने की प्रतिबद्धता" जाहिर करता है।

उपरोक्त तीनों हीं विकास लक्ष्यों के तहत असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार अनेक योजनाओं का सफल संचालन कर रही है। एसडीजी–10 के तहत असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से हुई कोशिशों के कारण आज भारत में तकरीबन 45.61 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं पर महिलाएं काबिज हैं। वहीं राज्य विधान सभाओं में 28.57 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से आते हैं। अगर समग्रता में सतत विकास लक्ष्यों पर हुई उपलब्धि की बात करें तो विश्व के 193 देशों में भारत का स्थान 99वां है। कुल 100 अंकों को शत–प्रतिशत उपलब्धि का द्योतक मानते हैं तो फिनलैंड 87.02 अंकों के साथ दुनियां में प्रथम स्थान पर है और 66.95 अंकों के साथ भारत 99वें पायदान पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकलन के अनुसार यदि लक्ष्य विशेष के संदर्भ में भारत की उपलब्धि पर गौर करें तो पाते हैं कि लक्ष्य क्रमांक 1 और 10 दोनों पर ही भारत की प्रगति समय सारणी के अनुरूप है जबकि लक्ष्य क्रमांक 5 पर भारत तय समय सीमा से पीछे चल रहा है।

यह गौर करने योग्य है कि साक्षरता एवं शिक्षा को किसी भी प्रकार की असमानता को दूर करने का पहला पायदान माना जाता है। शिक्षा वह साधन है जो न केवल व्यक्ति को समाज में व्याप्त असमानताओं को समझने बल्कि उसे दूर करने हेतु स्वयं के सशक्तीकरण हेतु आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आवश्यक है कि प्रौढ़ एवं आजीवन शिक्षण के सभी प्रयासों को इस आइने से देखते हुए आगे बढ़ा जाय।

– बी. संजय

ooooo

"सच्चे अर्थों में सभ्यता जीवन की आवश्यकताओं को बढ़ाने में नहीं, परंतु जान–बूझकर और स्वेच्छा से उनकी मर्यादा बांधने में है।"

– महात्मा गांधी

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 4

सभावनाओं की राह

– राजेंद्र जोशी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप देश के सामने नई दृष्टि के साथ प्रस्तुत हुआ, जिसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली को समय रूप से पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया है। यह दावा किया गया कि यह इक्कीसवीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इस पर कोई विवाद भी नहीं हैं, क्योंकि पिछली बार 1986 में बनी नीति को केवल 1992 में संशोधित किया गया था। लगभग तीन दशकों के लंबे अंतराल के बाद बनी यह नीति भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के समसामयिक संदर्भों को ध्यान में रखकर रची गई है। पर सवाल यह है कि पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी नई शिक्षा नीति देश भर में प्रभावी और समान रूप से लागू क्यों नहीं हो पाई है? आज भी विभिन्न राज्य नई शिक्षा नीति के विविध घटकों को अपने–अपने ढंग से अपनाने में व्यस्त हैं, जिससे शिक्षा के राष्ट्रीय मानक और रूप–रेखा असंतुलित हो रही है। नीति का उद्देश्य तो देश में गुणवत्तापूर्ण सुलभ और समावेशी शिक्षा व्यवस्था को साकार करना था, लेकिन इसके व्यावहारिक स्वरूप में अनेक अड़चने हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधारभूत मंत्र है – समग्र शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान तकनीकि और नवाचार को एक साथ जोड़ने का प्रभावी प्रयास होना चाहिए। सरकार की मंशा रही है कि भारतीय दर्शन, संस्कृति और चिंतन की सनातन परंपरा केवल ग्रंथों तक सीमित न रहकर नई पीढ़ी की शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बने। भारत की आत्मा में ज्ञान, मूल्य और आध्यात्मिक दृष्टि का संगम सदा से रहा है और यह बरसों से हमारे देश का प्राण रहा है। अब शिक्षा के माध्यम से उसी आत्मा को आधुनिक युग के संदर्भों में पुनर्जीवित करने की आवश्यकता समझकर शिक्षा नीति अमल में लाने का प्रयास है। मगर यह नीति केवल विषयों और पाठयक्रमों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए बल्कि यह शिक्षा की सोच, दृष्टि और उद्देश्य को नव परिभाषित करने का प्रयास होना चाहिए। इसका लक्ष्य ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, जो सामाजिक न्याय, समान अवसर और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों को सशक्त बनाए। नीति में 5+3+3+4 की संरचना लागू की गई है, जो बच्चों के मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के चरणों को ध्यान में रखती है।

यह व्यवस्था पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक एक निरंतर और समग्र शिक्षण अनुभव प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। सबसे बड़ी चुनौती राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय की है। शिक्षा का विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है। इसलिए नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। दुर्भाग्यवश विभिन्न राज्यों में नीति को लागू करने की गति और इच्छाशक्ति में भिन्नता है, जिससे नीति का राष्ट्रीय स्वरूप कमजोर पड़ता दिख रहा है।

शिक्षक किसी भी शैक्षणिक सुधार की धुरी होते हैं, पर अधिकांश शिक्षक नई नीति के उद्देश्यों और

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 5

मूल्य धाराओं से परिचित नहीं है। इसके लिए व्यापक शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शैक्षणिक संसाधनों और मूल्य आधारित शिक्षण पद्धतियों की तत्काल आवश्यकता है। तीसरी चुनौती है बुनियादी ढ़ांचे और संसाधन की। अनेक विद्यालयों और महाविद्यालयों में अभी भी पर्याप्त सुविधाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, तकनीकि उपकरण और शोध संसाधन उपलब्ध नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिकता का समन्वय नीति की एक विशेषता भर नहीं लेकिन धरातल पर होना चाहिए।

शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्यों को समझना और समाज कल्याण के मार्ग पर चलना रहा है। इस दृष्टि से यह नीति भारतीयता के पुनर्जागरण का माध्यम बन सकती है। मगर इसके लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाए, पारंपरिक विद्वनों को नई तकनीक और शिक्षण पद्धतियों से जोड़ा जाएं। नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की सिफारिश की गई है। यह विचार भारतीय भाषाई विविधता को सम्मान देता है और बच्चों की सोच तथा सीखने की क्षमता को मजबूत करता है। मगर इस दिशा में भी व्यावहारिक जटिलताएं हैं। इसके साथ एक सामान्य भाषा संपर्क भी आवश्यक है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान, शोध और संवाद की एकरूपता बनी रहे। यह संतुलन ही भारत की बहुभाषिकता को सशक्त बनाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम सुधार नहीं, बल्कि एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज का निर्माण है। प्रत्येक राज्य और संस्था को निश्चित समय सीमा में नीति के बिंदुओं को लागू करने का दायित्व सौंपा जाए और उसकी प्रगति की नियमित समीक्षा हो तभी नीति का लक्ष्य साकार हो सकता है। जब शिक्षा केवल परीक्षा और डिग्री केंद्रित न रहकर नवोन्मेष और विचारशीलता की दिशा में उन्मुख होगी तभी भारत एक सशक्त ज्ञान राष्ट्र के रूप में उभर सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की सांस्कृतिक चेतना और आधुनिक आवश्यकताओं के बीच सेतु का कार्य कर सकती है। यह नीति उस भारत की कल्पना करती है जो ज्ञान मूल्य और नवाचार का प्रतीक बने। जब गुरू, विद्यार्थी और समाज तीनों इस दृष्टि को अपनाएंगे तभी भारत उस ज्ञानभूमि के रूप में प्रतिष्ठित होगा जिसकी प्रेरणा से पूरी मानवता मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगी।

❍❍❍❍❍

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 6

शिक्षा के साथ विद्या का समावेश : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्राथमिकता

– चित्ररेखा
– मनोज कुमार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास है। इस नीति का उद्देश्य न केवल शैक्षणिक मानकों को सुधारना है बल्कि भारतीय संस्कृति, भाषा और विद्या की गहरी अवधारणाओं को भी पुनर्जीवित करना है। विद्या और शिक्षा की संकल्पनाओं को समझने की कोशिश हमें इस नीति की प्रभावशीलता और उसके लक्ष्य को सही ढंग से परखने में मदद करता है। नई शिक्षा नीति 2020 ने विद्या और शिक्षा के इस अंतर को ध्यान में रखते हुए अपनी संरचना को तैयार किया है। इस नीति के तहत भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक धरोहर और भाषाओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है जो कि पिछले कुछ दशकों में हाशिये पर चली गई थी।

आधुनिक तकनीकी व ज्ञान के क्षेत्र में आज पूरा विश्व परिवर्तन के दौर से बहुत तेजी से गुजर रहा है जिससे भारत भी अछूता नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली व उसकी रूपरेखा में नित्य प्रति परिवर्तन आ रहे हैं और उन परिवर्तनों में कहीं न कहीं हमारी विद्यालयी पाठ्यचर्याओं व रुपरेखाओं से भारत की शास्त्रीय भाषाएं और सांस्कृतिक मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं। इसका जीवंत उदाहरण नई शिक्षा नीति 2020 (बिंदु 22.5) में देखा जा सकता है कि किस प्रकार भारत ने विगत 50 वर्षों में अपनी 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनस्को ने भी 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। भारत की नई शिक्षा नीति (2020) ने पुनः एक बार फिर से देश का ध्यान शिक्षा के विस्तृत स्वरूप यानि विद्या की ओर केन्द्रित करने पर जोर दिया है क्योंकि आज हमने शिक्षा के नाम से विद्या को बहुत ही संकुचित कर दिया है और शिक्षा के अंदर विद्या के वास्तविक स्वरूप को कहीं छुपा सा दिया है।

भारतीय दर्शन में विद्या

"सा विद्या या विमुक्तये" अर्थात विद्या वह ज्ञान है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। यह एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक ज्ञान है जो हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। विद्या न केवल ज्ञान की प्राप्ति है बल्कि आत्मा के विकास और मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग भी है। विद्या धन सभी प्रकार के धनों से श्रेष्ठ है।

विद्यैव सर्वथा श्रेष्ठा विद्या सर्वस्य भूषणम्। विद्या सर्वस्य साहाय्यं विद्यया सर्वदा सुखम्

अर्थात विद्या सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। यह सभी का आभूषण है और विद्या से सदैव सुख की प्राप्ति होती है। भारतीय दर्शन के अनुसार विद्या का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद जीवन की तैयारी के लिए ज्ञान अर्जन करना नहीं है बल्कि आत्म ज्ञान, आत्म चेतना और मुक्ति के रूप में माना गया है। विद्या, ज्ञान, प्रज्ञा, बोध, सत्य व आनंद की खोज को भारतीय दर्शन में सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य

माना गया है।

यह विवेचना करना आवश्यक है कि क्या विद्या और शिक्षा वास्तव में समान हैं या उनके बीच छिपा हुआ एक गहरा अंतर है जो उनकी उपयोगिता और मूल्यों को अलग करता है?

आज हम शिक्षा और विद्या दोनों के वास्तविक सही अर्थ को समझ ही नहीं पाते और दोनों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या विद्या और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं? या ये एक ही हैं? क्या दो पर्याय या एक समान लगने वाले शब्द भी अर्थ व प्रयोग के अनुसार अलग–अलग विशेषता रख सकते हैं? इसका जबाव खोजने पर प्राप्त उत्तर होगा "हाँ"।

दो पर्याय शब्द भी अपनी उपयोगिता, विशेषता व मूल्यों के आधार पर अलग–अलग अर्थों में प्रयोग किए जा सकते हैं जैसे जल और पानी। कहने को तो ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं परंतु पानी का प्रयोग सामान्यतः या आमतौर पर गृहीय उपयोग के लिए किया जाता है जबकि पानी के प्राकृतिक शुद्ध रूप को जल कहा जाता है और जल शब्द और जल का प्रयोग अधिकतर धार्मिक अनुष्ठानों व कार्यों आदि में किया जाता है। इसी प्रकार जब हम "आग "और "अग्नि" की बात करते हैं तब "आग" शब्द आमतौर पर आग को उसके भौतिक रूप में दर्शाता है जबकि "अग्नि" शब्द में अधिक दार्शनिक या पौराणिक महत्व होता है। "अग्नि" को शुद्धता, परिवर्तन और बलिदान के साथ जोड़ा जाता है। हिन्दू संस्कृति में अग्नि को आग के देवता के रूप में माना जाता है और इसका एक दैवी शक्ति, आध्यात्मिक और ऋषिवादी महत्व होता है। एक और उदाहरण "स्वास्थ्य" और "आरोग्य" के रूप में देखा जा सकता है। "स्वास्थ्य" शब्द का अर्थ है "शारीरिक और मानसिक स्थिति" जो सामान्यतः किसी व्यक्ति की भलाई को दर्शाता है। जबकि "आरोग्य" का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य से ही नहीं बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को भी शामिल करता है। आरोग्य में संपूर्णता और समग्रता का विचार है जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार स्वास्थ्य और आरोग्य दोनों एक समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ और संदर्भ में गहरी भिन्नता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे पास हैं जिनके वास्तविक अर्थ और उपयोगिता को लेकर हम भ्रमित होते हैं। इसलिए जब हम विद्या और शिक्षा कि बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इन दोनों के मूल अर्थ को समझना होगा।

विद्या

"विद्या" मूलतः संस्कृत भाषा के विद् से उत्पन्न है जिसका अर्थ है "तर्क करना", खोजना, जानना प्राप्त करना या समझना। विद्या वह वास्तविक ज्ञान है जो हमारे भीतर से प्रकट होता है और यह ज्ञान कहीं न कहीं हमारी आध्यात्मिक मूल्यों, चेतना के विस्तार, प्रसन्नता व खुशी से जुड़ा होता है। हिन्दू धर्म में विद्या को अक्सर सरस्वती देवी से जोड़ा जाता है जो शिक्षा, संगीत, कला और ज्ञान की देवी हैं। इसलिए विद्या की खोज केवल एक शैक्षणिक प्रयास नहीं है बल्कि यह आध्यात्मिक विकास और सद्गुणी जीवन की खोज से भी जुड़ा हुआ है।

विद्या ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रताम्। पात्रत्वात् धनमान्पोति धनात् धर्मं ततः सुखम्।। अर्थात विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है।

ये पंक्तियाँ विद्या के मूल भाव को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। विद्या का अर्थ बहुत ही गहरा और व्यापक है। विद्या मुख्य रूप से विज्ञान, शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में वह "सही ज्ञान" है जिसे विवादित या खंडित नहीं किया जा सकता है। हिंदू दर्शन में विद्या, आत्मा या आध्यात्मिक ज्ञान को संदर्भित करने के साथ–साथ हिंदू दर्शन के छह विद्यालयों यथा न्याय, योग, वैशेषिक, सांख्य, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा के अध्ययन को भी संदर्भित करती है। विद्या को जीवन के सभी आयामों में प्रयुक्त करने योग्य "जीवंत ज्ञान" माना गया है।

शिक्षा

वहीं दूसरी तरफ यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा शब्द "शिक्ष" धातु से बना है जिसका अर्थ है "सीखना", "अनुशासन देना" या "सिखाना" या "निर्देश देना"। शिक्षा को "तालीम" भी कहा जाता है। "तालीम" एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ "शिक्षा" या "सिखाना" होता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एजुकेयर और एडुसेरे से हुई है। एजुकेयर का तात्पर्य "पालना" या "पोषण" करना है जबकि एजुसेरे शब्द का अर्थ "आगे लाना" या "बाहर निकालना"। इस प्रकार शिक्षा/तालीम/पढ़ाई हमें सही या अनुशासनात्मक कार्य करने के योग्य बनाती है और हमारे व्यवहार को अनुशासित रूप से नियंत्रित करती है। शिक्षा विद्या के अंदर ही समाहित है। यह अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है जो ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों, मन और बुद्धि तक ही सीमित है। इसे तथ्यात्मक जानकारी या तकनीकी कौशल की प्राप्ति के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षा एक योजनाबद्ध, संगठित और औपचारिक प्रक्रिया है जो किसी विशेष स्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, मदरसों या विश्वविद्यालय आदि में प्रदान की जाती है।

वर्तमान समय में शिक्षा जिसे हम विद्या कह कर पुकार रहे हैं, वह विद्या के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने में अपनी भागीदारी व भूमिका शत–प्रतिशत नहीं निभा पा रही है। वह केवल छात्रों को प्रशिक्षण और उसके जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्रशिक्षित करने का ही काम कर पा रही है। शिक्षा का क्षेत्र शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों, सार्थक जीवन, आर्थिक रुप से स्वतंत्र, व्यवसाय, नौकरी आदि के लिए तैयार करने तक सीमित रह गया है।

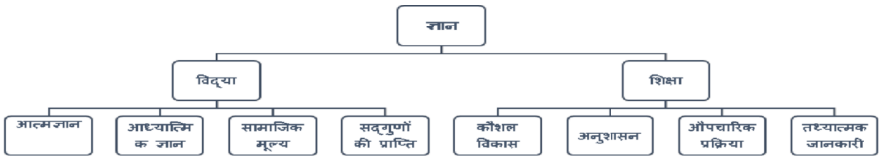

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम्। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः।।

विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ वास्तविक रूप है। यह ऐसा छिपा हुआ धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता।

विद्या भोग, यश और सुख प्रदान करती है और यह गुरुओं की भी गुरु कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्या रोजगार का माध्यम ही नहीं बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास का साधन है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्या को शिक्षा के माध्यम से मानव विकास, ज्ञान, नैतिकता, और सृजनात्मकता से जोड़ती है।

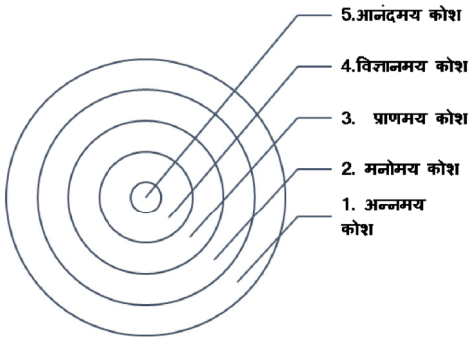

भारत में विद्या की अवधारणा मानव अस्तित्व के पाँच भागों के विकास जिन्हें पंचकोश (अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आंनदमय कोश) कहा जाता है के साथ–साथ सामाजिक मूल्यों, समाज के प्रचलित मानदंडों और व्यक्तित्व की अवधारणाओं पर आधारित रही है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क फॉर स्कूल शिक्षा 2022 इन पंचकोशों के साथ–साथ, पंचपदी (अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार) अधिगम प्रक्रिया के द्वारा देश की संस्कृति के सरंक्षण और भारत को एक अतुल्य भारत बनाने के लिए शिक्षा को विद्या में समावेशित करने पर बल देती है। यह एक प्रमुख एवं सराहनीय कदम है। इसलिए शिक्षक समाज को इसका हिस्सा बनकर अपनी भागीदारी पूरे उत्साह के साथ निभानी चाहिए।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य केवल छात्रों को ज्ञान प्रदान करना नहीं है बल्कि उन्हें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध करना है। यह न केवल एक शिक्षा प्रणाली को सुधारने का प्रयास है बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास है। हालांकि, इस नीति के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी सामने हैं। विविध भाषाओं और संस्कृतियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक सुव्यवस्थित और सामर्थ्यपूर्ण ढांचा तैयार करना आवश्यक होगा। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षकों की भूमिका इस नीति की सफलता में महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वे ही इस नई दिशा को अपनाने और उसे लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी पहल है जो शिक्षा और विद्या के बीच की खाई को भरने का प्रयास करती है। यदि सही ढंग से लागू किया जाए तो यह नीति पूरे समाज को एक नई दिशा भी दे सकती है।

संदर्भ

- ❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दस्तावेज़, भारत सरकार।
- ❖ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा विद्यालय शिक्षा के लिए 2022, एन सी ई आर टी , नई दिल्ली।
- ❖ मुंडक उपनिषद शंकर भाष्य प्रथम संस्करण 1983 भारतीय दर्शन और विद्या की अवधारणा।

❍❍❍❍❍

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 10

प्रौढ़ शिक्षा की पुनर्रचना : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

– नवीन कुमार मोक्टा
– मोनू सिंह गुर्जर
– खुशबू

प्रौढ़ शिक्षा किसी भी समाज के समावेशी और सतत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम समय–समय पर शुरू किए गए, किंतु व्यापक और स्थाई परिणामों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रौढ़ शिक्षा को जीवनपर्यंत शिक्षा के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत पुनःपरिभाषित करते हुए एक नए युग की शुरुआत की है। इस नीति के तहत वयस्कों को मूल साक्षरता, जीवन कौशल, व्यावसायिक शिक्षा, सतत अध्ययन तथा डिजिटल साक्षरता प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है। इस अध्ययन में भारत में प्रौढ़ शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, एन.ई.पी. 2020 के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा के पुनर्निर्मित स्वरूप और जीवनपर्यंत शिक्षा के एकीकरण का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, नीति कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों जैसे अवसंरचनात्मक कमियाँ, डिजिटल विभाजन और सामाजिक बाधाओं पर भी विचार किया गया है। निष्कर्षतः यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो भारत में प्रौढ़ शिक्षा न केवल साक्षरता बढ़ाने का माध्यम बनेगी, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक प्रगति का भी सशक्त आधार तैयार करेगी।

मुख्य शब्दः प्रौढ़ शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जीवनपर्यंत शिक्षा, वयस्क साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक शिक्षा, सतत विकास, शिक्षा नीति विश्लेषण, समावेशी शिक्षा, कौशल विकास।

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी व्यक्ति और समाज के सतत विकास की मूल आधारशिला है। बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक शिक्षा की आवश्यकता जीवन के हर चरण में बनी रहती है, जो न केवल व्यक्तिगत उन्नति बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भी माध्यम है। भारत जैसे विकासशील देश में प्रौढ़ शिक्षा का विशेष महत्व है, जहाँ एक बड़ी आबादी अभी भी साक्षरता और आवश्यक जीवन कौशल से वंचित है। वयस्कों को मूल साक्षरता, व्यावसायिक दक्षता और सामाजिक जागरूकता प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल की गईं, किंतु वांछित स्तर पर व्यापक परिवर्तन प्राप्त करना अभी शेष है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रौढ़ शिक्षा को पारंपरिक साक्षरता कार्यक्रमों से आगे बढ़ाकर जीवनपर्यंत शिक्षा (लाइफलॉंग लर्निंग) के सिद्धांत के अंतर्गत पुनःपरिभाषित किया है। इस नीति के तहत प्रौढ़ शिक्षा को बहुआयामी बनाया गया है, जिसमें डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक

कौशल, महत्वपूर्ण जीवन कौशल तथा सतत अध्ययन को भी सम्मिलित किया गया है। नीति का उद्देश्य वयस्कों को केवल साक्षर बनाना नहीं, बल्कि उन्हें 21वीं सदी के सामाजिक–आर्थिक परिवेश में सशक्त नागरिक बनाना है।

इस अध्ययन के माध्यम से भारत में प्रौढ़ शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा में आए परिवर्तनों, जीवनपर्यंत शिक्षा की अवधारणा के एकीकरण तथा नीतिगत कार्यान्वयन की संभावनाओं और चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। शोध का उद्देश्य यह समझना है कि कैसे एक समावेशी और सतत शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से वयस्कों के लिए शिक्षा को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जा सकता है।

साहित्य समीक्षा

किसी भी शोध अध्ययन के लिए यह आवश्यक होता है कि संबंधित क्षेत्र में पूर्व में किए गए कार्यों का सम्यक विश्लेषण किया जाए। साहित्य समीक्षा न केवल शोध समस्या की गहन समझ प्रदान करती है, बल्कि अध्ययन के सैद्धांतिक आधार को भी सुदृढ़ करती है। प्रस्तुत शोध में प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में विभिन्न पुस्तकों, सरकारी रिपोर्टों तथा अंतरर्राष्ट्रीय अध्ययनों का समावेश किया गया है, जिससे विषय की व्यापक पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया जा सके।

वी. वी. जॉन (2005) – एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया

डॉ. वी. वी. जॉन ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा के ऐतिहासिक विकास, नीतिगत प्रयासों और व्यावहारिक चुनौतियों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने वयस्क साक्षरता अभियानों की सफलता और सीमाओं दोनों पर प्रकाश डाला तथा सतत अधिगम (लॉइफलॉंग लर्निंग) की आवश्यकता को रेखांकित किया।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (2020) – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

एन.ई.पी. 2020 दस्तावेज में प्रौढ़ शिक्षा को जीवनपर्यंत शिक्षा के सिद्धांत से जोड़ा गया है। इसमें पाँच प्रमुख क्षेत्रों (मूल साक्षरता, जीवन कौशल, व्यावसायिक दक्षता, सतत अध्ययन और रुचि आधारित शिक्षा) के माध्यम से वयस्क शिक्षा के पुनर्संरचित ढांचे की परिकल्पना की गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उपयोग पर भी विशेष बल दिया गया है।

भारतीय वयस्क शिक्षा संघ (2010)– रिपोर्ट्स ऑन एल्ट एजुकेशन

इंडियन एडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन की रिपोर्टों में भारत में वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों की व्यावहारिक चुनौतियों, सामुदायिक भागीदारी की कमी तथा साक्षरता अभियानों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। इन्होंने सुझाया कि प्रौढ़ शिक्षा में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लचीलापन आवश्यक है।

यूनेस्को (2021) – ग्लोबल रिपोर्ट ऑन एडेल्ट लर्निंग एंड एजुकेशन–4

यूनेस्को की इस रिपोर्ट में वयस्क शिक्षा को वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ने पर बल दिया गया है। जीवनपर्यंत शिक्षा को समावेशी विकास का मूल आधार बताते हुए, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया है।

पाउलो फ्रेरे (1970) – पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड

फ्रेरे ने शिक्षा को एक मुक्तिकारी प्रक्रिया के रूप में देखा। उन्होंने वयस्क शिक्षा को सामाजिक चेतना और सत्ता विमर्श का साधन बताया। उनके विचार वयस्क शिक्षा में संवाद, जागरूकता और सामूहिक कार्यवाही पर आधारित थे, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म (2020) – दीक्षा एवं स्वयं पोर्टल्स

भारत सरकार के इन डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने वयस्कों और वंचित समूहों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को सहज और सुलभ बनाने का प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति में इनके व्यापक उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है।

अनुसंधान पद्धति

यह शोध वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों – जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल दस्तावेज, भारत सरकार की शैक्षिक रिपोर्ट्स, यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट्स तथा विभिन्न शोध–पत्र, आलेख और शैक्षणिक पुस्तकों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है।

चर्चा और विश्लेषण

भारत में प्रौढ़ शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

स्वतंत्रता से पहले और बाद के प्रयास : भारत में प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा का उद्भव सामाजिक सुधार आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ। महात्मा गांधी ने 'नैतिक शिक्षा' और 'नैतिक पुनर्निर्माण' के माध्यम से वयस्कों के बीच साक्षरता और जागरूकता फैलाने का आह्वान किया (जॉन, 2005)। उन्होंने नैतिक प्रशिक्षण को ग्राम विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनिवार्य माना। इसी प्रकार, रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी ग्रामीण शिक्षा और वयस्क शिक्षण को मानव विकास के केंद्र में रखा।

ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा मुख्यतः औपनिवेशिक हितों तक सीमित थी और वयस्क शिक्षा को कोई व्यापक स्थान नहीं मिला। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित कुछ मुख्य पहल, जैसे – 'वर्धा शिक्षा योजना' (1937), जिसे बाद में बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना गया, ने वयस्क शिक्षा की आवश्यकता

को रेखांकित अवश्य किया, किंतु संसाधनों और नीतिगत समर्थन की कमी के कारण ये प्रयास व्यापक प्रभाव नहीं छोड़ सके (भारत सरकार, 2020)। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन मानते हुए प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में योजनाबद्ध प्रयास शुरू किए। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों (डायरेक्टीव प्रींसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी) में साक्षरता और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई, किंतु बड़े पैमाने पर जागरूकता और संसाधनों की कमी के चलते इनकी प्रभावशीलता सीमित रही (भारतीय वयस्क शिक्षा संघ, 2010)।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और साक्षर भारत मिशन की भूमिका

1988 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (नेशनल लिटरेसी मिशन) ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया (भारतीय वयस्क शिक्षा संघ, 2010)। इस मिशन का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना था। पूर्ण साक्षरता अभियान (टोटल लिटरेसी कॉमपेन्स) के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी को बढ़ावा दिया गया। इस मिशन ने शिक्षा को सामाजिक आंदोलनों से जोड़ते हुए वयस्कों में न केवल पढ़ने–लिखने की क्षमता विकसित की, बल्कि जीवन कौशल, स्वास्थ्य जागरूकता और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया।

2009 में प्रारंभ हुआ साक्षर भारत मिशन विशेष रूप से महिलाओं और वंचित वर्गों पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य न केवल साक्षरता बढ़ाना था, बल्कि वयस्कों को व्यावसायिक कौशल और जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करना भी था (भारत सरकार, 2009)। इस कार्यक्रम ने ग्राम पंचायतों को केंद्र मानकर कार्यान्वयन किया, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार साक्षरता कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया जा सका। दोनों अभियानों ने भारत में वयस्क शिक्षा के महत्व को स्थापित करने और जीवनपर्यंत शिक्षा की आवश्यकता को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (कुमार, 2019)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पना को एक नवीन, समावेशी और बहुआयामी दृष्टिकोण से पुनर्परिभाषित किया है, जो केवल वर्णाक्षर ज्ञान तक सीमित न रहकर जीवन की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है (भारत सरकार, 2020)। नीति के अनुसार, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य केवल वयस्कों को पढ़ना–लिखना सिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें जीवनोपयोगी ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाना है, ताकि वे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकें। इस दृष्टि के तहत प्रौढ़ शिक्षा को पाँच प्रमुख क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है (1) मूल साक्षरता और अंकगणित, जिससे व्यक्ति न्यूनतम पठन–पाठन और गणना कौशल प्राप्त कर सके; (2) महत्वपूर्ण जीवन कौशल, जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन और नागरिक जिम्मेदारियों की समझ, (3) व्यावसायिक कौशल विकास, जिससे उन्हें

आत्मनिर्भर बनने और रोजगार प्राप्त करने के अवसर मिल सकें, (4) बुनियादी शिक्षा में सतत अध्ययन, जिसमें माध्यमिक या उच्च शिक्षा की तैयारी शामिल है तथा (5) रुचि आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम, जिनमें कला, संगीत, पर्यावरणीय चेतना एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। यह पुनर्रचना केवल पाठ्यक्रमीय ढाँचे में बदलाव नहीं है, बल्कि यह शिक्षा को जीवनपर्यंत अधिगम की एक सतत, लचीली और सजीव प्रक्रिया के रूप में स्थापित करने का दार्शनिक प्रयास है। यह पहल वयस्कों को न केवल व्यक्तिगत सशक्तिकरण प्रदान करती है, बल्कि उन्हें सामाजिक समरसता, लैंगिक समानता और समावेशी विकास की दिशा में एक सक्रिय नागरिक के रूप में भी सक्षम बनाती है। इसके माध्यम से भारत न केवल अपने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों, बल्कि सतत विकास लक्ष्य–4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है।

डिजिटल माध्यमों का उपयोग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रौढ़ शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को अत्यधिक महत्व दिया है। दीक्षा, स्वयं एवं स्वयं प्रभा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से वयस्कों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान की जा रही है (दीक्षा पोर्टल, 2020)। इन प्लेटफॉर्मों पर शिक्षण सामग्री को बहुभाषिक, मोबाइल–अनुकूल और सामुदायिक सहभागिता पर आधारित बनाया गया है, जिससे वयस्क शिक्षार्थियों के लिए सीखना अधिक सुलभ और अनुकूल हो सके। वर्ष 2024 तक स्वयं पोर्टल पर 2.3 करोड़ से अधिक शिक्षार्थियों ने नामांकन किया है, जिनमें लगभग 15 प्रतिशत वयस्क शिक्षार्थी (25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग) के हैं (भारत सरकार, 2024)।

इसके अतिरिक्त, मोबाइल ऐप्स और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है (स्वयं 2020)। विशेष रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएम जीदिशा) जैसे कार्यक्रम डिजिटल अंतर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण साधन बन रहे हैं। अब तक इस योजना के अंतर्गत 5.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण दिया जा चुका है (मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड इनफारेमेशन टैक्नालॉजी 2024)।

इसके साथ ही, यूनेस्को जैसे वैश्विक संस्थानों के दस्तावेज भी यह रेखांकित करते हैं कि डिजिटल साधनों का प्रयोग वयस्कों में न केवल शिक्षा के लिए, बल्कि नागरिक अधिकारों की जानकारी, स्वास्थ्य जागरूकता और आजीविका कौशल के विकास के लिए भी किया जाना चाहिए। भारत में डिजिटल माध्यमों का यह बढ़ता हुआ उपयोग न केवल तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है, बल्कि यह वयस्क शिक्षा के लोकतांत्रिक और समावेशी स्वरूप को साकार करने की एक उल्लेखनीय पहल भी है।

जीवनपर्यंत शिक्षा का समावेश

जीवनपर्यंत शिक्षा का वैश्विक महत्व बहुत व्यापक है। यूनेस्को के अनुसार, शिक्षा को व्यक्ति के जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए (यूनेस्को, 2021)। इसका उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत सशक्तिकरण करना है, बल्कि आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी को भी बढ़ावा देना है। रिकमेंडेशन ऑन एडल्ट लार्निंग एंड एजुकेशन – 2015" में यूनेस्को ने वयस्क शिक्षा को सामाजिक न्याय और सतत विकास से जोड़ा है। इसी प्रकार, ओइसीडी और यूरोपीय आयोग ने भी जीवनपर्यंत शिक्षा को लोकतांत्रिक भागीदारी और रोजगार की स्थिरता का आधार बताया है। 'लर्निंग टू बी' (यूनेस्को, 1972) और 'एजुकेशन 2030 एजंडा' जैसे दस्तावेजों ने जीवनपर्यंत शिक्षा को शिक्षा नीति का एक केंद्रीय विषय बनाया है।

एनईपी 2020 के तहत भारत में संभावनाएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 'जीवनपर्यंत शिक्षा' के सिद्धांत को मजबूती प्रदान की है (भारत सरकार, 2020)। इसके अंतर्गत भारत में प्रौढ़ शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए अनेक पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। नीति के अनुसार, प्रौढ़ शिक्षा का पुनर्गठन कर वयस्कों को सतत शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्मों जैसे दीक्षा और स्वयं के माध्यम से शिक्षा को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से पहुँचाने की योजना बनाई गई है। वर्ष 2024 तक स्वयं पोर्टल पर 2.3 करोड़ से अधिक शिक्षार्थियों ने नामांकन किया है, जिनमें से लगभग 15 प्रतिशत वयस्क शिक्षार्थी (25 वर्ष से अधिक) हैं। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत अब तक 5.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है (मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड इनफारेमेशन टैक्नालॉजी भारत सरकार, 2024)। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा ढांचे के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देकर वयस्क शिक्षार्थियों को रोजगारोन्मुखी बनाया जाएगा। नीति में सामुदायिक भागीदारी पर बल दिया गया है, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम विकसित किए जा सकें। साथ ही, लचीली मूल्यांकन पद्धतियाँ अपनाने का प्रस्ताव है, जिससे वयस्क शिक्षार्थियों की अधिगम क्षमताओं को उपयुक्त मान्यता मिल सके। इन सभी पहलों के माध्यम से शिक्षा को एक सतत, समावेशी और गतिशील प्रक्रिया के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जो न केवल सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देगी, बल्कि आर्थिक विकास के नए द्वार भी खोलेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ

हालाँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वयस्क शिक्षा और सतत अधिगम को लेकर अनेक सकारात्मक बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन इसके वास्तविक कार्यान्वयन में कई गंभीर चुनौतियाँ सामने आती हैं। सबसे प्रमुख समस्या बुनियादी ढांचे की कमी है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक शिक्षण सुविधाएँ, कक्षाएँ, प्रशिक्षण संसाधन और डिजिटल

उपकरणों की उपलब्धता अत्यंत सीमित है। इसके साथ ही, डिजिटल डिवाइड की समस्या भी नीतिगत उद्देश्यों को बाधित करती है, जहाँ शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण समुदायों की इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों तक पहुँच बहुत कम है। इसके अलावा, नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशिक्षित और प्रेरित शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है, जिससे गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सामाजिक स्तर पर भी कई बाधाएँ हैं, जैसे कि वयस्कों की शिक्षा के प्रति उदासीनता, पारिवारिक एवं आजीविका की जिम्मेदारियाँ तथा रूढ़िवादी सोच, जो उन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करने में बाधक बनती हैं। इन सभी चुनौतियों के समाधान के बिना, नीति उद्देश्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकते।

संभावनाएँ और सुधार हेतु सुझाव

प्रौढ़ शिक्षा के प्रभावी विस्तार के लिए भारत में कई संभावनाएँ मौजूद हैं। सबसे पहले, समुदाय आधारित शिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसमें पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। दूसरे, डिजिटल साक्षरता मिशनों को सुदृढ़ कर ग्रामीण व वंचित क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों का विस्तार आवश्यक है, जिससे वयस्क शिक्षा में डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग हो सके। तीसरे, निजी और सरकारी भागीदारी (सीएसआर के तहत) को प्रोत्साहित कर वित्तीय संसाधन और नवाचार बढ़ाए जा सकते हैं।

अंततः सतत मूल्यांकन प्रणाली स्थापित कर प्रत्येक शिक्षा केंद्र और कार्यक्रम की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे उनकी गुणवत्ता और प्रासंगिकता में निरंतर सुधार किया जा सके। इन पहलों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक, सुलभ और सतत बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रौढ़ शिक्षा को एक नए दृष्टिकोण से देखा है, जिसमें शिक्षा को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में समझा गया है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल तकनीक का उपयोग और कौशल विकास को बढ़ावा देकर देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन यदि नीति को सुदृढ़ रणनीतियों और सक्रिय भागीदारी के साथ लागू किया जाए तो भारत में प्रौढ़ शिक्षा एक नए युग की ओर बढ़ सकती है।

संदर्भ

हिंदी पुस्तकें

1. गोस्वामी, बी. एन. (2015). प्राचीन भारतीय पारिस्थितिक ज्ञान, नई दिल्लीः भारतीय विद्या संस्थान।
2. जॉन, वी. वी. (2005). भारत में प्रौढ़ शिक्षा, नई दिल्लीः मित्तल पब्लिकेशन्स।

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 17

3. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्लीः भारत सरकार प्रकाशन।

4. भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ (2010). भारत में वयस्क शिक्षा रिपोर्ट, नई दिल्लीः आईएईए प्रकाशन।

5. भारतीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (2009). साक्षर भारत मिशन गाइडलाइन, नई दिल्लीः भारत सरकार।

अंग्रेजी पुस्तकें एवं रिपोर्ट्स

i. Freire, Paulo. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Herder and Herder.
ii. Government of India, Ministry of Education. (2020). National Education Policy 2020. New Delhi: Government Press.
iii. Indian Adult Education Association. (2010). Reports on Adult Education. New Delhi: IAEA Publications.
iv. UNESCO. (1972). Learning to Be: The World of Education Today and Tomorrow. Paris: UNESCO Publishing.
v. UNESCO. (2021). 4th Global Report on Adult Learning and Education (GRALE 4). Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.
vi. World Bank. (2018). World Development Report: Learning to Realize Education's Promise. Washington, D.C.: The World Bank.

पत्रिकाएँ एवं जर्नल लेख

i. Kumar, Rajesh. (2019). "Adult Education in India: Progress and Challenges." International Journal of Education and Research, Vol. 7(5), pp. 45–55.
ii. Sharma, Meenakshi. (2020). "Lifelong Learning in the Context of NEP 2020." Journal of Indian Education, NCERT, Vol. 46(2), pp. 67–78.
iii. Verma, S. (2021). "Digital Literacy Initiatives in Rural India: A Study of PMGDISHA." Indian Journal of Adult Education, Vol. 82(1), pp. 22–34.

ऑनलाइन स्रोत

i. DIKSHA Portal, Government of India. (2024). Retrieved from https://diksha.gov.in
ii. UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2024). Retrieved from https://uil.unesco.org
iii. SWAYAM Portal, Government of India. (2024). Retrieved from https://swayam.gov.in

❍❍❍❍❍

"कोई व्यक्ति या समूह जितना अधिक अपना विचार करेगा उतना अधिक खतरा उस व्यक्ति अथवा समूह के स्व–केंद्रित, स्वार्थी और संकुचित बन जाने का रहेगा।"

– पंडित नेहरू

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 18

अधिगम कौशल विकास और शैक्षिक नीतियां

– मीनू गुप्ता

तमाम शैक्षिक नीतियां इस बात पर जोर देती हैं कि शिक्षा और समाज के संबंधों को किस प्रकार बेहतर बनाया जाए? किस प्रकार व्यक्ति अपने व्यक्तिव को प्रभावी और कौशल युक्त बनाए जिससे कि वह समाज को शैक्षिक सरोकारों के माध्यम से विकसित और सभ्य बनाने के साथ–साथ देश को आधुनिकता और वैज्ञानिकता की ओर ले जाने में मदद करे। परंतु सवाल इस बात का है कि ऐसे क्या–क्या उपाय किए जा सकते हैं जो हमें इस कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित तो करे हीं बल्कि समय–समय पर शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव और नवाचार लाने में भी सहायक हो सकें।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एन. सी. एफ. 2023, सतत विकास लक्ष्य और 21वीं सदी के कौशल आदि शैक्षिक नीतियां, विद्यार्थियों को क्षमता आधारित कौशल में निपुण बनाने की बात करती हैं। देखा जाए तो ये क्षमता आधारित कौशल अपने में बेहतरीन और महत्वपूर्ण कौशल है जो विद्यार्थियों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समायोजन करना तो सिखाती ही हैं साथ ही उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करती हैं।

''कौशल विकास के मामले में दुनिया के बाकी देशों में भारत काफी पीछे है। हनुमानगढ़ जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा 2001 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किये जा रहें हैं, जिनमें बालक–बालिकाओं को प्रभावी शिक्षण विधियों तथा टीएलएम द्वारा अध्यपन करवाने के लिए अध्यापकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। आधुनिक युग में ज्ञान के अत्यधिक विस्फोट और शिक्षण संस्थाओं में वृद्धि होने से परम्परागत कक्षा शिक्षण को अपनाने में कई तरह की कठिनाईओं का सामना करना पड़ता है। आज के समय में विज्ञान और तकनीकी का इतना विकास हो गया है कि थोड़े से समय में ज्ञान की वृद्धि बहुत ही तेज गति से हो रही है।

छात्र–छात्रों में वृद्धि होने के कारण गुणात्मक शिक्षा में कमी महसूस की जा रही है। गुणात्मक शिक्षा देने के लिए अध्यापकों को नवीन उपागमों के लिए प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। सेवा कालीन अध्यापकों के कौशल शिक्षण विकास में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव हीं छात्रों के समग्र विकास का आधार है। शैक्षणिक उपलब्धियों से परे, यह एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करता है जो आत्मविश्वास और क्षमता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। जब छात्र कौशल विकास गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो वे अपनी रचनात्मक क्षमता का दोहन करते हैं। अपनी प्रतिभा का पोषण करते हैं और अपने क्षितिज को व्यापक बनाते हैं। विकास के लिए यह समग्र दृष्टिकोण शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक पहलुओं को शामिल करता है, जिससे छात्र अधिक अनुकूलनीय और बहुमुखी व्यक्ति बन सकते हैं।

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 19

देश–दुनिया की लगभग तमाम नीतियां आज विद्यार्थियों में क्रिटिकिल थिंकिंग, प्रॉब्लम साल्विंग, निर्णय लेना, टीम वर्क, सहयोग, संवाद आदि कौशलों को विकसित करने की सिफारिश करती हैं। अनेक शोध बताते हैं कि आज का व्यक्ति भले ही एकेडमिक योग्यताओं से समृद्ध हो परंतु कौशलों के स्तर पर व्यक्ति व्यक्तित्व निर्माण में वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक उसके पहुंचने की संभावना का सपना तमाम शैक्षिक नीतियों ने देखा था। धरातल पर देखा जाए तो बहुत से व्यक्ति महज एक छोटी सी समस्या से इतने विचलित हो जाते हैं कि उनमें से अनेक लोग उसके समाधान के लिए झट से अन्य लोगों पर निर्भर हो जाते हैं, मानो उसका खुद का कोई आत्मविश्वास नहीं है या है भी तो शायद खुद पर भरोसा करना उसके लिए आसान नहीं है। जबकि तमाम शैक्षिक नीतियों के निर्माताओं ने शिक्षा के माध्यम से इस बात पर बल दिया था कि एक शैक्षिक व्यक्ति क्षमता आधारित कौशलों के माध्यम से खुद को और समाज को इस ढंग से निर्मित करेगा जहां वह हर फैसले, हर समस्या को तार्किक दृष्टि से समाधान की ओर ले जाएगा।

कौशल विकास छात्रों में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देता है। उद्यमशीलता केवल व्यवसाय शुरू करने तक ही सीमित नहीं है। यह नवाचार, रचनात्मकता और अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने की क्षमता से जुड़ी मानसिकता है। कौशल विकास के माध्यम से, छात्र बॉक्स के बाहर सोचना, सोच–समझ कर जोखिम उठाना और अपने विचारों को वास्तविकता में बदलना सीखते हैं। ये उद्यमशीलता कौशल अमूल्य हैं, चाहे छात्र अपने उद्यम शुरू करें या स्थापित संगठनों में अपनी अभिनव सोच का योगदान दें। सवाल इस बात का है कि क्या ये तमाम कौशल व्यक्ति को व्यवहारिक रूप में एक स्किल्ड व्यक्ति बनाने में सफल हुए हैं। यदि हुए हैं तो कितना या फिर उन्हें और आगे बढ़ने की जरूरत है। ये सवाल हम सबके लिए है, जिस पर हमें और गहराई से काम करना होगा। (साभार जनसत्ता)

❍❍❍❍❍

"सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठे हुए बीस व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। उसे प्रत्येक गांव के लोगों को नीचे से चलाना होगा।"

– महात्मा गांधी

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 20

बुनियादी साक्षरता संबंधी सीखने के प्रतिफल 'उल्लास' प्रवेशिका का समीक्षात्मक अध्ययन

— उषा शर्मा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखना के संदर्भ में 2030 तक पूर्ण साक्षर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की अनुशंसा करती है। इसके साथ ही यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और जीविकोपार्जन का अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रौढ़ शिक्षा का नाम अब 'सभी के लिए शिक्षा' है। पूर्ण साक्षर भारत के लिए राष्ट्रीय शौक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली में राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ द्वारा सीखने के प्रतिफलों का निर्माण किया गया और उसी को आधार बनाकर 'उल्लास' प्रवेशिकाओं का निर्माण किया गया। यह शोध पत्र इन्हीं प्रवेशिकाओं का एक समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है जिसमें यह पड़ताल करने का प्रयास किया गया है कि प्रवेशिकाएं बुनियादी साक्षरता संबंधी सीखने के प्रतिफलों की उपलब्धि में किस प्रकार के अवसर प्रदान करती हैं? क्या प्रवेशिकाएं पढ़ना–लिखना सीखने में शिक्षार्थी के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संबोधित करती हैं? क्या प्रवेशिकाएं भाषा के विशेष संदर्भ में बहुभाषिकता के विभिन्न मुद्दों को संबोधित करती हैं? सीखने में उनकी मातृभाषा के प्रयोग संबंधी प्रावधान किस प्रकार के हैं? शिक्षार्थी द्वारा हिंदी भाषा सीखने में उनकी मातृभाषा के प्रयोग संबंधी प्रावधन किस प्रकार के हैं? हिंदी भाषा और गणित को एकीकृत रूप में किस प्रकार से संयोजित किया गया है? यह शोध पत्र इन्हीं शोध प्रश्नों के संभावित उत्तरों को प्रस्तुत करता है जिससे इन प्रवेशिकाओं की सार्थकता और प्रासंगिकता प्रमाणित होती है।

प्रस्तावना

शिक्षा जीवन का एक अभिन्न अंग है और आवश्यकता भी। अभिन्न इस रूप में कि जीवन और शिक्षा दोनों ही निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएँ हैं और एक–दूसरे को प्रभावित करती हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार देता है और अनुच्छेद 21 'क' शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इस अर्थ में जीवन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह भी सत्य है कि गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहायक होती है। शिक्षा के संबंध में यह समझना भी आवश्यक है कि शिक्षा स्कूल या कॉलेज की चहारदीवारी से बँधी हुई नहीं है। वह उसके भीतर और बाहर दोनों जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। हम अपने परिवेश से भी निरंतर सीखते रहते हैं। सीखना जितना उत्कृष्ठ होता है, मानव–क्षमता भी उतनी उत्कृष्ठ होती जाती है जिसके परिणामस्वरूप जीवन को समझने और गरिमामय जीवन जीने में उतनी ही उत्कृष्टता देखने को मिलती है। इस तरह शिक्षा और जीवन परस्पर संबंद्ध है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 के अंतर्गत विश्व में, 'सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने' का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 में तीन बिंदु ध्यान देने योग्य हैं – (क) सभी के लिए शिक्षा; (ख) समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा; और (ग) जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसर। ये तीनों बिंदु किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति के आधारभूत तत्व हैं। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इन्हीं तीनों बिंदुओं का समर्थन करते हुए अनेक अनुशंसाएँ करती हैं।

शिक्षा का लक्ष्य जहाँ एक ओर व्यक्ति की क्षमता के विकास से संबंद्व है वही वह समाज और राष्ट्र के विकास व उनके निर्माण से भी संबद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ''शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है'' (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)। इसके साथ ही यह नीति मानवीयता के दृष्टिकोण हेतु संकेत करती है, ''शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है'' (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ 3)। इस रूप में शिक्षा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो, जिसका रूप व्यापक और सर्वजन हिताय हो।

सभी के लिए शिक्षा (पूर्व में प्रौढ़ शिक्षा) के संदर्भ में भी 15 वर्ष अथवा उससे ऊपर के आयु–वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए कल्याणकारी शिक्षा का यह रूप स्वीकार्य है और अपेक्षित भी। शिक्षा न केवल साक्षरता और संख्या–ज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है बल्कि वह उसके साथ–साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या–समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास से भी जुड़ी हुई है। शिक्षा नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति के विकास को महत्व देती है। शिक्षार्थी (प्रौढ़) के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षा को इसी मूलभूत आवश्यकता के रूप में देखा गया है और इसी के अनुरूप बुनियादी क्षमताओं के साथ उच्च स्तर की तार्किकता तथा समस्या समाधान आदि क्षमताओं के विकास संबंधी अनुशंसा की गई है, क्योंकि समाज और देश के स्तर पर साक्षरता और बुनियादी शिक्षा एक ऐसी शक्ति है, जो विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 'क' के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है जो एक मानव अधिकार भी है जिसे अनुच्छेद 26 में उल्लिखित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्याय 21 ''प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखना'' के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है, ''बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और जीविकोपार्जन का अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। साक्षरता और बुनियादी शिक्षा किसी व्यक्ति के लिए वैयक्तिक, नागरिक, आर्थिक और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों की एक नवीन दुनिया खोल देती है, जो व्यक्ति को निजी और पेशेवर, दोनों ही स्तरों पर आगे बढ़ने में मदद करती है'' (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ 83)। इस प्रकार साक्षरता एक व्यापक अवधारणा है, जो केवल अक्षर–ज्ञान या संख्या–ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न संदर्भों में विषयों को ठीक से समझने, रचने, गणना करने और संवाद करने की क्षमता है। यह विषयगत सामग्री किसी भी रूप में हो सकती है – श्रव्य, दृश्य, डिजिटल आदि। ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमारे आस–पास भाषा जिस रूप में और जिस प्रकार से प्रयुक्त होती है, संदर्भानुसार उसका अर्थ ग्रहण करना और अपने लिए उसका उपयोग करना ही साक्षरता का उद्देश्य है। यह बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रकार्यात्मक है और जीवन को उत्कृष्ट तरीके से जीने में सहायक है।

उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2022 – 23 से 2026 – 27 तक पाँच वर्षों के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' को मंजूरी दी है। जिसे प्रचलित रूप से उल्लास (समाज में सभी के लिए जीवनपर्यंत शिक्षा की समझ) के नाम से जाना जाता है और इसका आदर्श वाक्य है – जन–जन साक्षर। इस योजना का उद्देश्य सभी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाना है, जिन्हें उचित स्कूली शिक्षा नहीं मिल

पाई है उन्हें साक्षर बनाकर और उन्हें समाज के साथ मुख्यधारा के साथ जोड़ना है ताकि वे देश की विकास गाथा में अधिक योगदान दे सकें।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पढ़ना, लिखना और अंकगणित सिखाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका विस्तार व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल की समझ के साथ समृद्ध करना और भारत की जनता के बीच जीवनपर्यंत सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करना भी है। यह कार्यक्रम महिलाओं, पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि साक्षरता एवं अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल, सभी के लिए सुलभ और प्राप्त करने योग्य हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप इस योजना में मुख्य पाँच घटकों का उल्लेख किया गया है – 1. बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान; 2. महत्वपूर्ण जीवन कौशल (जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, शिशु पालन और शिक्षा एवं परिवार कल्याण); 3. व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोज़गार प्राप्ति के लिए); 4. बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, मध्य एवं माध्यमिक स्तर के समकक्ष); एवं 5. सतत शिक्षा (जैसे–कला, विज्ञान, तकनीकि, संस्कृति, खेल, मनोरंजन आदि के अलावा स्थानीय शिक्षार्थियों की रूचि अथवा लाभ की दृष्टि से अन्य विषयों, उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशलों पर अधिक उन्नत सामग्री पर प्रौढ़ कोर्स) (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ 84)। 'उल्लास' कार्यक्रम को स्वयंसेवा के माध्यम से लागू किया जा रहा है। जिसमें कक्षा 5 और उससे उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी स्वयंसेवी शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करेंगे। साथ ही उच्च शिक्षा के अंतर्गत विश्वविद्यालय एवं कॉलेज तथा अध्यापक कार्यक्रम के प्रशिक्षु (विद्यार्थी शिक्षक) भी असाक्षर शिक्षार्थियों को साक्षर बनने में सहयोग करेंगे। इनके अतिरिक्त समुदाय के सदस्य भी उल्लास कार्यक्रम में सहभागी होंगे। उल्लास कार्यक्रम महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से व्यक्तियों को समाज में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सशक्त बनाता है। यह सशक्तिकरण शिक्षार्थियों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 'उल्लास' एक साक्षरता कार्यक्रम से कहीं अधिक है : यह एक आंदोलन है, उज्जवल भविष्य और सशक्त शिक्षार्थियों की ओर एक अभियान है।

सीखने के प्रतिफल – बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान

जैसा कि ज्ञात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं एवं 'उल्लास' कार्यक्रम में मुख्य पाँच घटकों में से एक है – बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान जिसका सामान्य अर्थ किसी भाषा में पढ़ना–लिखना सीखना और गणित सीखना है। वे व्यक्ति जो किसी कारण से विद्यालय नहीं जा सके और पढ़ना–लिखना, गणित नहीं सीख सके, उन सभी के लिए इस योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीखने के प्रतिफल मुख्य रूप से यह स्पष्ट करते हैं कि पढ़ना, लिखना और गणित में किस स्तर तक की दक्षताओं को प्राप्त करना है और वे कौन सी दक्षताएँ हैं। भाषा के संदर्भ में 15 वर्ष और उससे ऊपर की आयु–वर्ग के व्यक्ति अपनी मातृभाषा में सुनने–बोलने का एक समृद्ध अनुभव रखते हैं अर्थात वे दैनिक जीवन में मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। वे अपनी मौखिक भाषा में परस्पर संवाद करने में निपुण होते हैं तथा मौखिक भाषा का व्यावहारिक ज्ञान भी रखते हैं। संभवतः वे लिखित भाषा में उतने दक्ष नहीं होते। वे लिखी हुई भाषा को पढ़ने और लिखकर अपनी बात को अभिव्यक्त करने की दक्षता में भी अधिक निपुण नहीं होते होंगे। अतः सरल शब्दों में कहें तो वे भाषा में पढ़ने–लिखने की कुशलता नहीं रखते।

इसी प्रकार वे लोग जो मौखिक रूप से रूपये–पैसे का लेन–देन तो कर लेते हों, जो मूलतः व्यवहार और प्रयोग से आ जाता है लेकिन वे लिखी हुई संख्याओं को पहचानने, संख्याओं को जमा, घटा, गुणा, भाग करने, मापन की इकाइयों को पहचानने और जमा, घटा आदि गणितीय संक्रियाओं को करने में

समस्या का सामना करते हों। सीखने के प्रतिफल में भाषा को पढ़ने–लिखने और गणित संबंधी दक्षताओं को उचित स्थान दिया गया है। सीखने के ये प्रतिफल औपचारिक विद्यालयी व्यवस्था में कक्षा 2 के समकक्ष हैं, लेकिन गाणित में उससे आगे की विषय–वस्तु दी गई है, उदाहरण के लिए आँकड़ों का प्रबंधन जिसमें वे दिए गए आँकड़ों को पढ़कर समझते हैं और अपनी राय बनाते हैं। इसमें हम मतदान संबंधी जानकारी भी दे सकते हैं।

'उल्लास' प्रवेशिका

'उल्लास' कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान के अर्जन को केंद्र में रखते हुए 15 वर्ष अथवा उससे ऊपर की आयु–वर्ग के असाक्षर शिक्षार्थियों के लिए 'उल्लास' प्रवेशिकाओं का निर्माण किया गया है। ये प्रवेशिकाएं चार भागों में हैं और इनका संक्षिप्त संस्करण भी उपलब्ध है। इन प्रवेशिकाओं में एक ओर बुनियादी क्षमताओं के विकास का लक्ष्य रखा गया है तो दूसरी ओर उच्च स्तर की क्षमताओं के उन्नयन को सुनिश्चित किया गया है। जैसा कि पूर्व में इस बिंदु की चर्चा की गई है कि 'उल्लास' के शिक्षार्थी अपने जीवन के अलग– अलग संदर्भों में अपनी मातृभाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं। वे अपनी बात को कहने और दूसरों की बात को सुनकर समझने की योग्यता भी रखते हैं। वे गणित का व्यावहारिक प्रयोग जानते–समझते हैं। लेकिन संभवतः 'उल्लास' के शिक्षार्थी भाषा और गणित के लिखित रूप से अधिक परिचित न हों या बिल्कुल भी परिचित न हों।

शिक्षार्थियों के जीवन को आधार बनाकर विकसित की गई 'उल्लास' प्रवेशिकाएँ पर्याप्त रूप से ऐसे अवसर प्रदान करती हैं, जिससे शिक्षार्थियों में हिन्दी भाषा और संख्या ज्ञान की बुनियादी क्षमता का विकास हो सके। वे अपने जीवन में पढ़ने–लिखने और गणित का व्यावहारिक प्रयोग कर सकें। 'उल्लास' प्रवेशिकाएं केवल अक्षर ज्ञान और अंकों की पहचान तक सीमित नहीं हैं बल्कि वह पढ़कर समझने, समझकर लिखने और गणित की अवधारणाओं की समझ व उनका दैनिक जीवन में प्रयोग करने के व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित हैं।

'उल्लास' प्रवेशिकाओं के चारों भागों एवं 'उल्लास' प्रवेशिका–संक्षिप्त के पाठ अंतर्वस्तु (थीम) पर आधारित हैं अर्थात पाठों की विषय–वस्तु को 13 अंतर्वस्तु (थीम) के अंतर्गत विकसित किया गया है। प्रवेशिकाओं में 15 वर्ष व उससे बड़ी उम्र के 'उल्लास' शिक्षार्थियों के जीवन में जो भी सामाजिक – सांस्कृतिक – आर्थिक परिप्रेक्ष्य हैं तथा जहाँ–जहाँ पर भाषा के बोलने, पढ़ने, लिखने और गणित का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, ऐसी विषय–वस्तु को सुगम एवं ढ़ंग से प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए, परिवार और पड़ोस, बातचीत, खान–पान और स्वास्थ्य, यात्रा, आपदा प्रबंधन, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, खरीदारी, बैंक आदि। इन पाठों के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकें और उन्हें ये पाठ जीवनयापन करने में मदद कर सकें। उदाहरण के लिए 'मुसीबतें कैसी–कैसी' पाठ में विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में बताया गया है। अगर बाढ़ आ जाए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इसी तरह, यदि भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? साथ ही पाठ के अंत में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो उल्लास शिक्षार्थियों को यह अवसर देते हैं कि वे पढ़ी हुई विषय–वस्तु को अपने परिवेश के संदर्भ में समझें और अपने अनुभव भी साझा करें। उदाहरण के लिए 'मुसीबतें कैसी–कैसी' पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न इस प्रकार हैं –

सोचिए, अगर आपके यहाँ भी भूकंप आ जाए तो क्या आपके घर को भी खतरा होगा? यदि हाँ, तो आप कहाँ रहेंगे?

क्या आपने अपने जीवन में सूखा, भूकंप, बाढ़ जैसी किसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया है? यदि हाँ, तो अपना अनुभव साझा कीजिए। इसी प्रकार सभी पाठों में जीवन से जुड़ी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है, जैसे

- भूकंप आने पर क्या–क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
- अगर आप घर के अंदर हों तो –
- ज़मीन पर झुक जाएँ। किसी मजबूत मेज़ के नीचे बैठे जाएँ।
- मेज़ न हो तो अपने चेहरे और सिर को बाजुओं से ढक लें।
- शीशे, खिड़कियों, दरवाज़ों से दूर रहें।

उल्लास प्रवेशिका के पाठों में विभिन्न साहित्यिक विधाओं को भी उचित स्थान दिया गया है। इसमें कहानियां, कविताएं, एकांकी का अंश, यात्रा–वृत्तांत, पत्र, आत्मकथा आदि सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए हाँ जी ना जी, जब धरती काँपी जैसी कहानियाँ दी गई हैं। 'ठीक समय पर' और 'आओ बादल' रोचक कविताएँ हैं। 'गांधी जी आत्मकथा से (आत्मकथा); 'स्कूल को चिट्ठी' (पत्र); 'अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा' (एकांकी); तथा 'दीवाली के दीये' (संस्मरण) सम्मिलित हैं। ये जानकारी के साथ–साथ भाषा और गणित की अवधारणाओं को समझने का अवसर देते हैं।

'उल्लास' प्रवेशिका का एक अत्यंत विशिष्ट बिंदु है – हिंदी भाषा (साक्षरता) और गणित का एकीकृत रूप। यह रूप इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब हम कोई भी विषय पढ़ते हैं तो वह किसी न किसी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इस रूप में भाषा माध्यम का कार्य करती है। गणित की भी एक भाषा होती है और वह उस भाषा विशेष में प्रस्तुत गणित को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, उल्लास प्रवेशिका – भाग 1, पाठ 1 में 'राजा के परिवार' के चित्र को देखने के पश्चात जो प्रश्न पूछे गए हैं, वे संख्या पर आधारित हैं, जैसे – राजा का परिवार बैलगाड़ी से जा रहा है। देखिए, गिनिए और लिखिए –

- गाड़ी में कुल कितने व्यक्ति हैं?
- गाड़ी में कुल कितने पुरूष हैं?
- गाड़ी में कितनी महिलाएँ हैं?
- टोकरी में कितने तरबूज हैं?

इसी प्रकार से बीस, सात, आठ, दस, तीन, सात, आदि का शब्दों में उपयोग अक्षर विशेष और शब्द विशेष पढ़ना–लिखना सिखाने के लिए किया गया है। मोबाइल से मोबाइल नंबर, मोबाइल के विभिन्न प्रयोग और गणित के अंकों को सीखने–सीखाने का अवसर भी 'उल्लास' प्रवेशिका में सहज भाव से प्रस्तुत किए गए हैं। 'उल्लास' प्रवेशिका के चारों भागों एवं संक्षिप्त संस्करण में विषय–वस्तु को इसी एकीकृत रूप में संयोजित किया गया है।

इन प्रवेशिकाओं के अधिकत्तर पाठों की शुरूआत में एक बड़ा चित्र या पोस्टर दिया गया है ताकि उस पर शिक्षार्थियों के बीच अनौपचारिक एवं सारगर्भित चर्चा हो। साथ ही इसमें अंतर्वस्तु (थीम) पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, जो चित्र में दी गई विषय–वस्तु को सीखने व समझाने में मदद करते हैं। इन पाठों में मेरे शब्द की एक अन्य विशेषता है। जिसमें उल्लास शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा में अपने शब्दों को लिखने और पढ़ने का अवसर मिलता है। इस प्रकार यह बहुभाषिकता को संबोधित करने का एक सराहनीय उपाय है। शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन से ही लिए शब्दों, वाक्यों, मुहावरों, घटनाओं, चित्रों आदि को पाठों में समीचीन स्थान दिया गया है। इससे प्रवेशिका और जीवन के बीच

की खाई को पाटने का प्रयास किया गया है।

'उल्लास' प्रवेशिका के चारों भागों में शिक्षार्थियों को हिंदी भाषा की वर्णमाला सिखाने के लिए हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को एक क्रम में प्रस्तुत करके पाठ की अंतर्वस्तु (थीम) में सहज भाव से समावेशित किया गया है। उदाहरण के लिए पाठ 1 'परिवार और पड़ोस' थीम पर आधारित है, जिसमें दिए गए बड़े चित्र या पोस्टर में संवाद की संभावनाएँ दी गई।

इस चित्र में शब्दों (दुकान, लोग, परिवार, घर, रसोईघर, दरवाजा, वकील) के साथ–साथ शब्दों में प्रयुक्त अक्षरों, जैसे – 'अ, आ, न, प, स, र, व' को स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस पाठ में 'आ' की मात्रा को भी सीखने–सिखाने का प्रयास किया गया है।

बुनियादी साक्षरता संबंधी सीखने के प्रतिफल और उल्लास प्रवेशिका

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में बुनियादी साक्षरता पर पूर्व–प्राथमिक से लेकर कक्षा 2 तक (बुनियादी स्तर) विशेष बल दिया गया है। इस स्तर पर भाषा और गणित की बुनियादी कुशलताओं को सीखने–सीखाने का कार्य किया जाता है। भाषाई विकास की दृष्टि से भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग संभव है। 'उल्लास' के संदर्भ में भी पढ़ने–लिखने की इन्हीं बुनियादी विषय–वस्तुओं को समझना है और जीवन में उनका प्रयोग करना है। 'उल्लास' शिक्षार्थियों का भाषा के मौखिक रूप से परिचित होना सबसे बड़ी भाषाई पूंजी है। उनके पास भाषा का इतना समृद्ध अनुभव है कि वे भाषा को सुनकर समझना और समझकर बोलने की कुशलता में दक्ष हैं। उनकी यही कुशलता और दक्षता भाषा को पढ़ने और लिखने में सहायता करती है।

'उल्लास' के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता संबंधी सीखने के प्रतिफलों में भाषा की बुनियादी इकाइयों से शुरू करते हुए भाषा की समझ के उच्चतर स्तर तक पहुँचने का प्रयास किया गया है, जैसे..... सीखने के कुछ प्रतिफलों के अनुसार शिक्षार्थी –

- अक्षरों की ध्वनि को उनकी आकृति से जोड़ते हैं।
- स्वर और उनकी संबंधित मात्रा को पहचानते हैं।
- दिए गए अक्षर या ध्वनि से शुरू या समाप्त होने वाले शब्दों की सूची बनाते हैं।
- स्पष्ट रूप से अक्षर, शब्द, छोटा टेक्स्ट आदि लिखते हैं।
- भाषा में आवृति वाले (बार–बार आने वाले) शब्दों की पहचान करते हैं।
- प्रवेशिका की भाषा अथवा अपनी भाषा में चीजों को नाम देते (लिखते) हैं।
- पाठ्य–वस्तु के आधार पर प्रश्नों के उत्तर (प्रतिक्रिया, टिप्पणी, तर्क, राय आदि) देते हैं।

ये प्रतिफल हिंदी भाषा में अक्षर, शब्द और छोटा टेक्टस पढ़ने–लिखने पर आधारित हैं, लेकिन यह सीखने की पद्धति शिक्षार्थी–केंद्रित और उनके सीखने के तरीके पर आधारित है। यहाँ साक्षरता की परिभाषा को भी केंद्र में रखना होगा, जो महत्वपूर्ण जीवन कौशलों के माध्यम से अर्थपूर्ण पढ़ने–लिखने की चर्चा करती है।

'उल्लास' प्रवेशिका में दिए गए पोस्टरनुमा बड़े आकार के चित्रों पर चर्चा होती है। चर्चा का विषय चित्र की विषय–वस्तु (थीम) होती है जिसमें शिक्षार्थियों के अनुभव, जिज्ञासाएँ, प्रश्न, राय, टिप्पणी, प्रतिक्रिया आदि आमंत्रित की जाती हैं। उदाहरण के लिए, 'उल्लास' प्रवेशिका, भाग 2 के पाठ 5 के चित्र में स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीकाकरण, हाथ धोने आदि के बारे में सर्वप्रथम शिक्षार्थी को यह अवसर मिलता है कि वह अपनी बात कह सकें, अपने अनुभव सांझा कर सकें, जैसे – बच्चों के टीकाकरण में

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 26

उन्हें किन–किन समस्याओं का सामाना करना पड़ता है आदि। यहीं शिक्षार्थियों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य, स्वच्छता पर आधारित अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है। वहीं पाठ 5 की अंतर्वस्तु (थीम) पर आधारित या उसमें जुड़े हुए शब्द दिए गए हैं, जिन्हें चित्रों के माध्यम से पहचानने के लिए मच्छर, फल, दवाई, कसरत, कूड़ा, साबुन, दूध आदि शब्दों को चित्र से अनुमान लगाकर पढ़ने का निर्देश दिया गया है। इन्हीं शब्दों के माध्यम से 'ऊ,', 'उ' 'ह' 'छ', 'फ', 'ठ' 'थ' आदि अक्षरों और इनसे बनने वाले शब्दों की पहचान करने, पढ़ने और लिखने का निर्देश दिया गया है। शिक्षार्थियों के स्तर एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण – अधिगम प्रक्रिया को कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे –

- 'उस्तरा', 'उपज', 'उलटना', 'उसका', 'उतरना', 'उल्लू' आदि शब्दों में 'उ' की पहचान करना।
- हिंदी भाषा के विभिन्न अक्षरों में 'उ' की पहचान करना और पढ़ना।
- पूर्व पाठों में पढ़े गए अक्षरों की पहचान करना।
- पूर्व पाठों में आए अक्षरों की मदद से इस पाठ के शब्द पढ़ने का प्रयास करना।
- 'आज नगद कल उधार' छोटे–छोटे वाक्य या कहावत पढ़ने का प्रयास करना। यह कहावत या वाक्य प्रायः शिक्षार्थी अपने आस–पास सुनते भी होंगे और स्वयं इसका प्रयोग भी करते होंगे।
- 'उ' लिखने का प्रयास करना।
- 'उ' से बनने वाले शब्द लिखने का प्रयास करना।
- चूल्हा, 49 और उपले के चित्रों को देखना और सहभागियों की मदद से उनके नाम लिखना।
- यही प्रक्रिया शेष अक्षरों के लिए अपनाई जाती है।
- मेरे शब्द के अंतर्गत अपनी भाषा के शब्द लिखना, पढ़कर सुनाना जिनमें 'उ' अक्षर का प्रयोग हुआ हो।
- 'ऊ', 'उ', 'ह', 'छ', 'फ', 'ठ', 'थ', से बनने वाले शब्द लिखना।
- 'मछुवारे के जाल में सुनहरी मछलियाँ फँस गई।' 'चलो सिनेमा देखने थियेटर चलते हैं।' 'फागुनी, जल्दी खाओ, कुल्फी पिघल रही है। आदि वाक्यों को चित्रों की मदद से पढ़ने, उनमें आए अक्षरों, शब्दों और शब्दों में आए, अक्षरों को पढ़ने के अवसर दिए गए हैं।'

यह पूरी प्रक्रिया अक्षरों की अलग से पहचान करने या शब्दों में अक्षरों की पहचान करने और पढ़ने संबंधी सीखने के प्रतिफलों को संबोधित करती है।

भाषा में आवृति वाले (बार–बार आने वाले) शब्दों की पहचान करने के संबंध में शोध दर्शाते हैं कि जब एक बार किसी शब्द को कूटबद्ध (encoded) किया जाता है तथा एक बार उसे देखा, पढ़ा जाता है और जब वह फिर से पाठ्य–वस्तु में आता है तो उस तक अपनी पहुँच बनाना आसान हो जाता है। अन्य शोध भी यही सुझाव देते हैं कि आवृति और पुनर्रावृति का प्राथामिक प्रभाव एन्कोडिंग की बजाय शाब्दिक पहुँच पर अधिक पड़ता है (डिक्सन और रोधकोफ, 1979, ग्लैंजर और एहरेनरिय, 1979; स्कारबोरो, कोर्टे और स्कारबोरो, 1977)। मार्शल एडम जस्ट एवं पैट्रीसिया ए कारपेंटर पठन के संदर्भ में स्कारबोरो (1977) के एक शोध अध्ययन का उल्लेख करते हुए यह स्थापित करते हैं कि जब एक बार कम आवृति वाले अथवा जटिल शब्द पाठ्य–वस्तु में दृष्टिगत होते हैं और जैसे–जैसे उनकी आवृति बढ़ती है तो उन्हें पहचानने व समझने में लगने वाला समय क्रमशः घटता चला जाता है (जस्ट एवं कारपेंटर, पृष्ठ 761)। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि एक बार दृष्टि से गुजरने वाले शब्द अपनी ध्वनि के साथ हमारे मस्तिष्क में 'बैठे' जाते हैं। जब बार–बार वही शब्द हमारी दृष्टि से गुजरते हैं तो उनकी पहचान करना और उन्हें समझना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है और इस प्रक्रिया से पढ़ने की गति भी बढ़ती है।

जैसा कि पूर्व में भी स्पष्ट किया गया है कि भाषा और गणित एकीकृत रूप में पढ़े एवं समझे जाते हैं। इसी प्रकार पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया भी साथ–साथ चलती है। भाषा का कोई भी कौशल रेखीय रूप में नहीं सीखा जाता। उदाहरण के लिए 'ठ' की आकृति बनाना और उसके साथ विशेष रूप से '8' '60' उपर ठेले का चित्र देकर उनके नाम शब्द लिखने के लिए कहना भाषा और गणित के एकीकृत रूप का उत्कृष्ठ उदाहरण है। यहाँ एक ओर जिन अक्षरों की पहचान और उनके ध्वनि–आकृति संबंध की क्षमता का संवर्धन करने का प्रयास है, वहाँ शब्दों का चयन भी विशेष है, जहाँ अक्षर शब्द के प्रथम स्थान पर आते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक उपयुक्त प्रक्रिया है, जिससे अक्षर की ध्वनि को शब्द में अनेक स्थानों पर सुना जा सके और उनकी पहचान की जा सके। उदाहरण के लिए थकान, हथेली, कथा, छत, बछिया, गमछा आदि।

इस प्रकार, अक्षर विशेष में लगभग सभी मात्राओं से प्रयुक्त शब्दों का चयन किया गया है, जैसे – थमना, थिरकन, बथुआ, थैली, छुटकू, छीलना, बिछौना, छीकना आदि।

थमना	थकान	थरमस	थूकना
कत्था	थिरकना	बथुआ	हथेली
थोड़ा	कथा	थैली	थापना

छत	मछली	छूना	बिछौना
गमछा	छुटकू	छीलना	छाप
छुरी	छुआरा	छींकना	बछिया

यह इस बात का घोतक है कि जब हम शब्द पढ़ना सीख रहे हैं तो शुरूआत में वे शब्द एक छवि की तरह हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। जब कोई उस शब्द को बोलता है या स्तर में पढ़कर सुनाता है तो उन शब्दों के साथ उनकी आवाज भी संयोजित हो जाती है। यह अक्षरों की ध्वनि को उनकी आकृति से जोड़ने एवं स्वर और उनसे संबंधित मात्रा को पहचानने का कौशल है। जब हम पुनः उन शब्दों को देखते हैं तो मस्तिष्क में उनकी आवाज सुनाई देती है और हम उन शब्दों को उनकी उन्हीं आवाजों के साथ पहचानते हैं। यह संयोजन या सहसंबंध जितना अधिक प्रगाढ़ होगा, पढ़ना सीखना उतना ही सार्थक और सुविधाजनक होगा। 'उल्लास' प्रवेशिओं में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ सहसंयोजन देखा जा सकता है –

जब हम किसी पाठ्य–पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके कई स्तर होते हैं, सरसरी तौर पर पढ़ना जिसमें अर्थ की गहनता की अपेक्षा किसी बिंदु विशेष की पहचान करना मुख्य उद्देश्य होता है। पढ़ने के उद्देश्य के अनुसार हमारी पठन–प्रक्रिया और पठन–गति निर्धारित होती है। कैनेथ एस. गुडमैन (2021) अपने एक लाख 'पठन – मनोभाषिक अनुमान लगाने का खेल' में पढ़ने की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पढ़ने की प्रक्रिया में पाठक एक नहीं बल्कि एक साथ तीन तरह की जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित ही ग्राफिक इनपुट्स के बिना पठन नहीं हो सकता। लेकिन पाठक वाक्य–विन्यास और अर्थ–विज्ञान की जानकारी का प्रयोग भी करता है। इस जानकारी के आधार पर पाठक लिखित प्रिंट में 'क्या आने वाला है' इसका अनुमान तथा पूर्वानुमान लगाता है। फिर लगाए गए अपने अनुमान

की पुष्टि वह अर्थ–विज्ञान और व्याकरण संबंधी जानकारी के आधार पर करता है (कैनेथ एस, गुडमैन, पृष्ठ 9, 10)। पढ़ने के संबंध में यह अवधारणा एवं स्पष्टीकरण अनुमान एवं पूर्वानुमान को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखती है। इस अर्थ में चित्र, पूर्व अनुभव, पाठ्य–वस्तु, विषय की जानकारी आदि संदर्भ के रूप में अर्थ तक पहुँचने में सहयोग करते हैं। एक से अधिक विधियों का प्रयोग करते हुए पढ़ना, अपने परिवेश में सामान्य रूप से उपलब्ध लिखित (प्रिंट या छपी हुई पाठ्य–वस्तु) को पढ़ना और उसे अपने जीवन के अनुभवों तथा स्थितियों से जोड़ना, किसी की सहायता से और क्रमशः स्वतंत्र रूप से पाठ्य–वस्तु पढ़ना, पाठ्य–वस्तु के आधार पर प्रश्नों के उत्तर (प्रतिक्रिया, टिप्पणी, तर्क, राय आदि) मौखिक या लिखित रूप से देना जैसे सीखने के प्रतिफलों को संबोधित करने की सामग्री 'उल्लास' प्रवेशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है।

'उल्लास' प्रवेशिकाएँ और बहुभाषिकता

'उल्लास' प्रवेशिकाओं में बहुभाषिकता को भली–भांति न केवल स्थान दिया गया है बल्कि उसे प्रोत्साहित भी किया गया है। 'मेरे शब्द', मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के लोकगीत का उदाहरण है, जहाँ शिक्षार्थियों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने और लिखने के लिए कहा जाता है। कुछ पाठ ऐसे भी है जहाँ अपने–अपने त्योहारों, रीति–रिवाजों को एक–दूसरे के साथ के साथ साझा करने के भी अवसर प्रदान किए जाते हैं। किसी वस्तु का संज्ञान होना यानि उसकी पहचान होना अलग विषय है और उस वस्तु के लिए लक्ष्य भाषा (भाषा–सीखी जा रही है) में शब्द से परिचित होना, दोनों अलग बिंदु हैं लेकिन, परस्पर संबद्ध हैं। अपनी मातृभाषा से इतर भाषा में जब बोलने, पढ़ने या लिखने का अभ्यास कराया जाता है तो सहज एवं स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभाषा के शब्द अभिव्यक्ति में आ जाते हैं।

बातचीत के लिए

- क्या आपके घर में स्त्री और पुरूषों के काम बँटे हुए हैं?
- अगर स्त्री और पुरूष दोनों ही बाहर काम करते हैं तो घर पहुँचकर किसे, कौन से दायित्व निभाने चाहिए और क्यों?
- स्त्री और पुरूष के बीच बँटे हुए कामों की सोच समाज के लिए किस तरह घातक है?
- दोनों कहानियों में बच्चों का जवाब समाज को बदलने में किस तरह मदद करेगा?

हमारे समाज के वे व्यक्ति जो किन्हीं कारणों से विद्यालयी शिक्षा से दूर रहे या फिर पढ़ना–लिखना नहीं सीख सके, वे संभवतः अपने–अपने कार्य में कुशल भी होंगे और समझदार भी होंगे तथा जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व और जीवट व्यक्तित्व के धनी भी हो सकते हैं। उनके जीवन में केवल साक्षरता का अभाव है लेकिन फिर भी वे कई मायनों में 'पढ़े–लिखे' कहे जा सकते हैं। मौखिक भाषा के भरपूर समझ और चिंतन का उच्च स्तर इन शिक्षार्थियों को सम्मान भरी दृष्टि से देखता है। इन्हें छोटे बच्चों की तरह ऐसी पाठ्य–वस्तु नहीं चाहिए, जिसमें एक तरह का सपाटपना होता है, बल्कि ऐसी पठन सामग्री और उससे जुड़ा संवाद चाहिए जिसे वे अपने जीवन में उपयोग में ला सकें। इस संबंध में पाउलो फ्रेरे अपनी पुस्तक "उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र" में लिखते हैं, "संवाद से शिक्षक 'छात्रों का शिक्षक' और छात्र 'शिक्षक के छात्र' नहीं रहते, बल्कि एक नया पद सामने आता है – छात्र शिक्षकों के साथ और शिक्षक छात्र के साथ।

शिक्षक–निर्देश – 'हमारा रहन–सहन' विषय पर बातचीत करें। सहभागियों से पूछकर उनके किसी

त्योहार से जुड़े 3–4 शब्द उनकी भाषा के भी हो सकते हैं, जैसे 'छठ' त्योहार से जुड़े शब्द – नहाए – खाए कोसी भरना, रसियाव आदि।

अब शिक्षक केवल वह नहीं रहता है "जो पढ़ाता है" बल्कि छात्रों से संवाद करते समय स्वयं भी उनसे पढ़ता है। दूसरी तरफ छात्र भी वे नहीं रहते 'जो पढ़ते हैं' बल्कि शिक्षक से संवाद करते समय पढ़ने के साथ–साथ वे पढ़ाते भी हैं। शिक्षक और छात्र, दोनों उस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, जिसमें सभी की वृद्धि होती है।.....यहाँ न तो कोई दूसरे को शिक्षित करता है, न स्वयं–शिक्षित होता है। यहाँ मनुष्य एक–दूसरे को शिक्षित करते हैं और उनके बीच में होता है विश्व, अर्थात वे संज्ञेय वस्तुएँ., जो बैंकीय शिक्षा में शिक्षक अपनी वस्तुएँ होती हैं'' (फ्रेरे, पृष्ठ 60–61)। फ्रेरे अपने उद्धरण में शिक्षा के स्वरूप की चर्चा करते हैं और साथ–ही–साथ इस ओर भी संकेत करते हैं कि शिक्षक और छात्रों के मध्य किस प्रकार का संबंध अपेक्षित है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह उभरकर आता है कि कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता अपितु पढ़ने का दायित्व स्वयं शिक्षार्थी पर है और जो 'पढ़ाने' का प्रयास करता है तो वह स्वयं भी पढ़ रहा होता है। इस प्रकार शिक्षक और छात्र के मध्य 'ज्ञानवान' और 'ज्ञानहीन' का भाव तिरोहित हो जाता है। इस अर्थ में 'उल्लास' के अंतर्गत बुनियादी पढ़ना–लिखना सीखने का दायित्व शिक्षार्थी पर ही अधिक है। स्वयंसेवी शिक्षक का सर्वोपरि दायित्व यह है कि वह शिक्षार्थी को पढ़ना–लिखना सीखने के लिए प्रेरित कर सकें, सीखने में मदद करें और सीखने को सतत जारी रखें।

नगरिया	उमरियाए डुमरिया वाले खेल तैं तो निदैइया में त नगरियां संझा के बेरा, संघ जाबीरे दोस्ते
निदैइया	गावइया गादी वइसै गाले उमरिया डुमरिया डुमर वाले खेत तौ तें निदैइया, मैं तो नगरिया संझा के बेरा, संघे जाबौ रे दोस्त
नगरिया	नइै आवै बइया तुम्हारो आगे बइसे गाले उमरिया डुमरिया डुमर वाले खेत तौं ते निदेइया मैं तो नागारिया संझा के बेरा, संघे जाबो रे दोस्त

इस प्रकार आलोचनात्मक दृष्टि से लैस और सजग, तर्कपूर्ण व्यक्तित्व को साक्षर बनाने का दायित्व हम सभी का है। 'उल्लास' प्रवेशिकाएँ केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं हैं अपितु वे दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तुओं, घटनाओं आदि को गहराई से समझने का अवसर देती हैं। सरल शब्दों में कहें तो भाषा का सीखना और जीवन का जीना साथ–साथ चलता है। उदाहरण के लिए, हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता के लिए हाथ धोना जरूरी है – भोजन करने से पूर्व और शौच के बाद! इसी बिंदु पर शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करने से उन्हें स्वच्छता, स्वास्थय आदि की जानकारी भी मिल जाएगी और चर्चा के दौरान बार–बार प्रयुक्त होने वाले पद 'हाथ धोना' के माध्यम से शिक्षार्थी 'ह', 'थ', 'ध', एवं 'आ' की मात्रा (T) भी सीख जाएँगें। यही बिंदु साक्षरता की परिभाषा का मूल तत्व है। विषय–वस्तु के अनुरूप चित्रों का भरपूर प्रयोग पठन के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ शुरूआत में शब्द केवल एक छवि के रूप में होते हैं और चित्रों की सहायता से पढ़ने में मदद मिलती है। 'उल्लास' प्रवेशिकाएँ अक्षरों एवं शब्दों की पुनरावृति पर विशेष बल देती हैं और यदि शब्द मूर्त होते है तो विषय–वस्तु को समझना सरल हो जाता है। 'उल्लास' प्रवेशिकाओं के पाठों के अंत में दिए गए विविध प्रकार के अभ्यास शिक्षार्थी को अपनी गति और क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। उल्लास के साथ विकसित 'उल्लास' प्रवेशिकाएँ 2030 तक पूर्ण साक्षर भारत के स्वप्न को साकार करने में निःसदेंह एक उपयोगी उपकरण हैं। (साभार भारतीय आधुनिक शिक्षा)

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 30

संदर्भ

1. अलवर्मैन, डोना ई., नॉर्मन जे. अनराऊ और रॉबर्ट बी रूडेल, (संपादक), 2013 थ्योरीटिकल मॉडल्स एंड प्रोसेसिज ऑफ रीडिंग, इंटरनेशनल रीडिंग एसोसिएशन, नवार्क डेलावेयर, यू. एस।
2. फ्रेर, पॉलो, 1996. रमेश उपाध्यय (संपादक), उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र, ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. बंटा, डब्ल्यू टुडी और कैथरीन ए. पलोम्बा, 2014. असेसमेंट एसेंशियल्स – प्लानिंग, इम्प्लिमेन्टेशन एंड इम्प्रूविंग असेसमेंट इन हाइअर एजुकेशन, जोसी – बास,. ए विले ब्रांड, यू.एस।
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 2021, पढ़ना है समझना रा. भौ. अ. प्र. प.., नई दिल्ली।
5. वेला जे. के 1979 लर्निंग टू लिसन – ए गाइड टू मेथड्स ऑफ एडल्ट नॉन फार्मल एजुकेशन, सेंटर ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, यू. एस।
6. स्मिथ, फ्रैंक. 2004, अंडरस्टैंडिंग रीडिंग – ए साइकोलिंगुस्टिक एनालिसिस ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग टू रीड, (सिक्सथ एडिसन), लॉरेंस एर्लबाम एसोसिएट्स, न्यू जर्सी, यू. एस।

❍❍❍❍❍

"यंत्र विज्ञान की शक्ति ने, जैसा कि हम काव्यमय भाषा में कहते हैं, 'अंतर का सर्वथा अंत कर दिया है, साथ ही इस शक्ति ने मानव–इतिहास में पहली बार मानव के हाथों को ऐसे शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित कर दिया है, जो मानवजाति का सर्वनाश कर सकते हैं।"

– आर्नाल्ड टॉयनबी

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 31

शिक्षा का अर्थ

– रिया

सीखना ही शिक्षा है। एक शख्स की सीखने की दौड़ उस दिन से ही शुरू हो जाती है, जब वह गर्भ के महफूज इलाके से धरती पर सभी के बीच आ पहुँचता है। वह हर दिन, हर घण्टे और हर पल सीखता है। लोगों को समझना और अपने को ज़ाहिर करना। सीखने की इस प्रक्रिया को भी अलग–अलग ढ़ंग से परिभाषित किया गया है।

''शिक्षा का अर्थ'' किताब शिक्षा के विकास क्रम और शिक्षा के असल मायनों को समेटे हुए है। यह किताब पीटर ग्रे के हिंदी अनूदित लेखों का संकलन है। पीटर ऑटिस ग्रे अमेरिका के एक मनोविज्ञान शोधकर्ता और विद्वान हैं। आप बोस्टन कॉलेज में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। शिक्षा और खेल के बीच संबंध पर आपके शोध कार्य एवं मनोविज्ञान सिद्धांत को विकासवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है।

आशुतोष उपाध्याय ने पीटर ग्रे के लेखों को हिंदी में अनूदित किया है। आशुतोष उपाध्याय प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और बाल विज्ञान खोजशाला, बेरीनाग में सीखने–सिखाने से जुड़ें हैं। वे विज्ञान को मज़ेदार और आसान ढ़ंग से बच्चों तक पहुँचाने का काम करते हैं।

शैक्षिक चिंतन पर यह किताब पाठकों के सामने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई सवाल सामने लाती है। किताब मानव इतिहास और विकास, मानव व सामाजिक व्यवहार, शिक्षा के बदलते अर्थ और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सोचने की ताकीद करती है। एक तजवीज़ यह है कि शिक्षा लेने का एकमात्र ज़रिया स्कूलों को ही न समझा जाए। बच्चे खुद ही खेल–खेल में बहुत कुछ सीख लेते हैं। लेखक के शब्दों में ''शुरूआत में, सैकड़ों हज़ारों वर्षों तक, बच्चे स्व–निर्देशित खेलों तथा खोज विधियों से खुद को प्रशिक्षित करते रहे'' का भाव प्रतिफलित है।

मानव विकास के दौरान जब वह शिकारी था, जब उसने खेती शुरू की और उसके हज़ारों वर्षों बाद तक भी स्कूल जैसी संस्थाएं अस्तित्व में नहीं आई थीं। लेकिन एक बात गौरतलब है कि बच्चे तब भी सीखते थे। उनकी शिक्षा समाज की पैदावार होती थी। जीवित रहने के लिए वे तमाम तरह के काम सीख लेते और प्रतिक्षित हो जाया करते थे। जबरन समाज की बनावट और ज़रूरत के माकूल ही एक काल में शिक्षा और शिक्षा–प्रणाली का ढ़ाँचा तैयार होता है। उस समय महज इतनी ज़रूरत थी कि पेट भर खाने को मिले और खुद से बड़े शिकारी से बचाव हो पाए।

मुस्तकबिल परिस्थितियाँ मानव इतिहास में बड़ा बदलाव लाने वाली थीं। घुमंतू शिकारी मानवों को एक जगह ठहरने की वजह मिल गई। खेती की दस्तक हुई। ज़ाहिर ही यह बदलाव आसान न था। जो बच्चे शिकारी संग्राहक समाज में अपनी पसंद के खेल खेलने और सीखने को आज़ाद थे अब खेतों में घर वालों के साथ हाथ बंटाने को मजबूर हो गए। इस पर पीटर ग्रे लिखते हैं –''समाज पूरी तरह से सत्ता–सोपानों में बंट गया। सत्ता सोपान के शीर्ष पर राजा और उसके दरबारी थे, जबकि दासों और कामगारों की बड़ी आबादी सबसे निचले पायदान पर थी।''

"खेती के आगमन के बाद कई हज़ार वर्षों के दौरान बच्चों की शिक्षा का अर्थ था – उनकी इच्छाओं को तहस–नहस कर उन्हें अच्छा श्रमिक बनाना।" पीटर ग्रे के इन शब्दों से उन हालातों की कल्पना मात्र करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। समय बीतता गया, "विकास" होता गया। मनुष्य ने खेती से उद्योगों की ओर अपने कदम बढ़ाए। इससे सामंतवाद तो कुछ हद तक खत्म हुआ, लेकिन एक नए वर्ग ने उसकी जगह ले ली। "बच्चों को खुले हवादार खेतों की जगह, जहाँ उन्हें कभी–कभार खेलने का मौका मिल जाता था, अब अंधेरी, बदबूदार व गन्दी फ़ैक्टरियों में काम करना पड़ता था।"

जैसे – जैसे उद्योगों का विकास होता गया बालश्रम की ज़रूरत कम होती गई। यह वह समय था जब बच्चों की पढ़ाई की बात छिड़ी होगी। बच्चों को "पढ़ाने" के लिए स्कूल खड़े किए जाने लगे। लेखक ने उस समय के शिक्षा के अर्थ पर लिखा है कि – "तब की समझ यही थी कि हर आदमी को पढ़ना सीखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि अंतिम सत्य धर्मग्रंथों में ही मिल सकता है तथा मुक्ति का एकमात्र मार्ग इस सत्य को जानने में निहित है।" इस प्रकार धर्म और धर्मग्रंथों की समझ बनाने की इकाई के रूप में स्कूलों को देखा जाने लगा।

सभी के लिए स्कूलों के अलग मायने थे। एक समाज में वर्चस्वशालियों द्वारा अपनी सहूलियत के अनुसार शिक्षा को बदला जा रहा है। जैसी शक्तिशाली वर्ग की मांग होती है, शिक्षा पद्धति वैसे ही ढ़ाल दी जाती है। शिक्षाविद् डॉ. कमलेश अटवाल कहते हैं कि "हमारी शिक्षा–प्रणाली औद्योगिकीकरण के बाद की दुनिया की मांग थी। उस समय शिक्षा का मतलब फैक्टरी के लिए कामगारों को पैदा करना था ताकि बड़ी मात्रा में उत्पादन हो सके। मांग थी कि लेबरफोर्स में एकरूपता हो जिससे उत्पादन बेहतर ढ़ंग से हो सके। इसलिए हमारी शिक्षा आज भी युनिफॉर्मिटी पर जोर देती है।"

राष्ट्रवादी राजनेताओं ने स्कूलों को राष्ट्रवादी तैयार करने के संस्थानों के रूप में देखा। शायद यही कारण है कि जब भी राज्य को यथास्थिति का रूख बदलना होता है तब बच्चों के पाठ्यक्रम को बदल दिया जाता है। कुछ इस तरह भावी पीढ़ी की सोच, समझ और विचारों को आकार दिया जाता है। ऐसा ही स्कूल स्थापित होने के शुरूआती दौर में भी हुआ। पृष्ठभूमि को समझाते हुए लेखक कहते हैं – "बड़े लोग तयशुदा मूल्यों और तौर–तरीकों को बच्चों के दिमाग़ में बिठाने या रोपने वाली प्रक्रिया" के अर्थ में शिक्षा को देखते थे।

हजारों साल के सफ़र के बाद आज हमने भले ही शिक्षा की समझ विकसित की हो, लेकिन शिक्षा की जड़ में बसे मूल्य कहीं–न–कहीं आज भी वही दिखते हैं। क्लासरूम और स्कूल का माहौल इतना सख़्त होता है कि बच्चे खुद को अभिव्यक्त ही नहीं कर पाते। खेलों की जगह सिकुड़ती जा रही है और पढ़ाई का बोझ उसकी जगह लेता जा रहा है। स्कूलों में होड़ मची है आगे निकलने की। शिक्षा की पैमाइश का ज़रिया नंबरों और परीक्षाओं को बना दिया गया है।

लेखक के अनुसार बच्चे तभी पढ़ना सीखते हैं जब वे सचमुच पढ़ना चाहते हैं। यह बात सच है कि जिस ज़ोर ज़बरदस्ती से पहले बच्चों से काम कराया जाता था आज वही पैंतरेबाजी स्कूलों में होती है। लेकिन इस माहौल में बच्चे और ज्यादा कुण्ठाग्रस्त हो जाते हैं। हम जो मान बैठे हैं, शिक्षा का उद्देश्य उससे बहुत व्यापक है। लेखक के मुताबिक –"शिक्षा का उद्देश्य जीवन में सार्थकता की खोज होती है

और हर व्यक्ति को इसे अपने लिए स्वयं ईजाद करना पड़ता है।"

सीखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे बाहरी दबाव से किसी के भीतर नहीं डाला जा सकता। इस पर लेखक का कहना है कि – "बच्चों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ योजना, सीखने का प्रोत्साहन, परीक्षा और उन सब बातों की चिन्ता हमें नहीं करनी चाहिए, जिन्हें शिक्षाशास्त्र के दायरे में रखा जाता है। इसके बजाय हमें इन बातों में खर्च होने वाली ऊर्जा को ऐसे साफ–सुथरे वातावरण के निर्माण में लगाना चाहिए जहां बच्चे ठीक से खेल सकें।" लेखक मानते हैं कि बच्चों का शिक्षा परिसर ऐसा होना चाहिए जहां बच्चे ठीक से खेल सकें।" लेखक मानते हैं कि बच्चों की शिक्षा बच्चों की खुद की ज़िम्मेदारी है, शिक्षक या अभिभावकों की नहीं। लेखक को लगता है कि – "हमारे बच्चों को स्कूलों की और ज़्यादा दखलअंदाजी की ज़रूरत नहीं है। उनके जीवन में स्कूल का दख़ल कम होना चाहिए। बेशक उन्हें बेहतर स्कूल चाहिए लेकिन ज्यादा स्कूल नहीं।"

यह बात किसी के लिए अज्ञेय नहीं है कि बच्चे बचपन से ही कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। वो भी अपने दम पर। बच्चों की रूमानियत उनकी बातों और हरकतों से साफ झलकती है। वे सफ़ल होने के लिए कोई काम नहीं करते, बल्कि आनंद के लिए करते हैं। इस दौरान अगर वे वह काम नहीं भी कर पाते तब भी बार–बार कोशिश करते हैं। चलना, बोलना, समझना या फिर कुछ बनाना, बच्चे यूँ ही सीखते हैं। लेखक के शब्दों में – "ये सब बातें वे किसी बड़े द्वारा तैयार किए गए पाठ को पढ़कर नहीं सीखते, बल्कि खेल–खेल में स्वयं अपने प्रयासों से, अपनी कभी समाप्त ना होने वाली जिज्ञासा से और दूसरे लोगों के व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखने की अपनी सहजवृति के कारण सीखते हैं।"

शिक्षा के लिए जितनी ज़रूरी किताबें हैं, उतने ही ज़रूरी खेल भी हैं। लेखक पीटर ग्रे भी खेल को बच्चों के जीवन में बेहद ज़रूरी मानते हैं। वे लिखते हैं कि – "खेल वास्तविक नहीं होता और यह कल्पना लोक में घटित होता है, मगर इसका ताल्लुक वास्तविक दुनिया से है और दुनिया से तालमेल बिठाने में बच्चों की मदद करता है।" बच्चों की ज़िंदगियों में खेल के लिए समय ही नहीं बचता है। आधा दिन स्कूल, उसके बाद कोचिंग और हज़ार तरह की प्रतियोगिताएं वे अलग! इस कारण बच्चों में अवसाद घर कर रहा है।

इस पर अपनी चिंता ज़ाहिर करते हुए पीटर ग्रे ने लिखा है कि – "खेल अपनी परिभाषा से ही सृजनात्मक और अभिनव होता है। बेशक यदि आप खेल को छीन लेंगे तो ये सारी चीज़ें ग़ायब होनी शुरू हो जाएंगी। और फिर भी हर जगह हमें पहले से ज्यादा स्कूल और पहले से कम खेल–कूद का ही शोर सुनाई देता है। और हमें इसे बदलना होगा, हर हाल में बदलना होगा।"

खेल ना सिर्फ बच्चे के शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी है बल्कि साथ ही साथ मानसिक विकास के लिए भी। भले ही एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने अकेले रहता है, इसका मतबल ये नहीं कि बाहर आने के बाद उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती। मनुष्य एक सामाजिक जीव है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए और खुश रहने के लिए। यह भी शिक्षा है।

(पीटर ऑटिस ग्रे के लेखों का आशुतोष उपाध्याय द्वारा किए अनुवाद पर आधारित साभार जनसत्ता)

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 34

आजीवन सीखना और माध्यमिक शिक्षा

— सौरभ मिश्र

आजीवन सीखने को "जीवनभर की जाने वाली सभी सीखने की गतिविधि के रुप में परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत, नागरिक, सामाजिक और रोजगार सम्बन्धी ज्ञान, कौशल और क्षमताओं में सुधार करना है"। इसे बचपन के औपचारिक शिक्षा के बाद के वर्षों और व्यस्कता में होने वाली शिक्षा माना जाता है। आजीवन शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है बल्कि इसे मनुष्य हर जगह जैसे– समाज में, घर में, यात्रा करते समय, एक–दूसरे से अन्तःक्रिया के द्वारा तथा अनौपचारिक साधनों से भी निरन्तर ज्ञान प्राप्त करता रहता है। यही अनुभव तथा ज्ञान आजीवन शिक्षा के अन्तर्गत आता है। यह व्यक्तिगत विकास पर केन्द्रित होती है।

"आजीवन सीखना" का इतिहास

कुछ संदर्भों में "आजीवन शिक्षा" शब्द "आजीवन शिक्षार्थी" शब्द से विकसित हुआ है जिसे लेस्ली वॉटकिंस द्वारा बनाया गया था और क्लिंट टेलर, सी.एस.यू.एल.ए. के प्रोफेसर और टेम्पल सिटी यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अधीक्षक द्वारा 1993 में जिले के मिशन वक्तव्य में इस्तेमाल किया गया था। यह शब्द मानता है कि, सीखना बचपन या कक्षा तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन भर और कई स्थितियों में होता है।

अन्य संदर्भों में "आजीवन शिक्षा" शब्द का विकास स्वाभाविक रुप से हुआ है। पहला आजीवन शिक्षा संस्थान 1962 में द न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च (अब द न्यू स्कूल) में "सेवानिवृत्ति में शिक्षा" के प्रयोग के रुप में शुरु हुआ। बाद में, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी तरह के समूहों के गठन के बाद, कई लोगों ने उसी आयु सीमा में गैर–सेवानिवृत्त व्यक्तियों को शामिल करने के लिए "आजीवन शिक्षा संस्थान" नाम चुना।

सीखने की कला

सीखना एक गतिशील और बहुआयामी प्रक्रिया है जो जीवनभर चलती रहती है। यह कक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि रोजमर्रा के अनुभवों और बातचीत तक फैली हुई है। सीखने की यात्रा बहुत ही व्यक्तिगत होती है और विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है। सीखने में धारणा, ध्यान, स्मृति और समस्या का समाधान जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। छात्र जानकारी को अलग–अलग तरीके से संसाधित करते हैं और शिक्षकों को अपने शिक्षण के तरीकों को उन्हीं के अनुसार ढालना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के उस चरण को संदर्भित करती है जो प्राथमिक शिक्षा के बाद और उच्च शिक्षा से पहले होती है। यह आमतौर पर 12 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों को प्रदान की

जाती है, हालांकि विशिष्ट आयु सीमा शैक्षिक प्रणाली और देश के आधार पर भिन्न हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को अच्छी तरह से एक ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जो उन्हें उच्च शिक्षा या कार्यबल हेतु तैयार करे। इसका उद्देश्य उनके बौद्धिक, सामाजिक और भावात्मक कौशल को विकसित करना है, साथ ही साथ आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और स्वतन्त्रता को बढ़ावा देना है।

माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी शब्द सैकेण्ड्री एजुकेशन शब्द से बना है जो कि विद्यार्थी जीवन का दूसरा चरण कहलाता है। इसमें विद्यार्थी को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा दी जाती है। भारत सरकार ने 23 सितम्बर 1952 को डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। माध्यमिक शिक्षा को पारम्परिक औपचारिक शिक्षा के दूसरे चरण के रुप में समझ सकते हैं जो 11 से 18 वर्ष की आयु तक होती है। इसके पात्र होने के लिए छात्र को छः साल की प्राथमिक व प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होता है।

बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए जबकि सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा सहित माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न रुप हर बच्चे के लिए उपलब्ध और सुलभ होने चाहिए।

आजीवन सीखना

आजीवन सीखने को "जीवन भर की जाने वाली सभी सीखने की गतिविधि के रुप में परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत, नागरिक, सामाजिक और/अथवा रोजगार–सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य में ज्ञान, कौशल और क्षमताओं में सुधार करना है"। इसे अक्सर बचपन के औपचारिक शिक्षा के वर्षों के बाद और वयस्कता में होने वाली शिक्षा माना जाता है।

शिक्षा में आजीवन शिक्षा

आजीवन सीखना सीखने का एक तरीका है – चाहे व्यक्तिगत या पेशेवर संदर्भ में – जो निरन्तर और स्व–प्रेरित है। आजीवन सीखना औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है, और यह व्यक्ति के जीवन भर से लेकर जीवन के अंत का चलता रहता है।

आजीवन सीखने का फायदा

आजीवन सीखने से आप अपने कौशल को निखार सकते हैं ताकि आप आने वाले वर्षों में अपने उद्योग के लिए एक परिसम्पत्ती बन सकें। साथ ही, अपनी पेशेवर क्षमताओं को विकसित करके आप अपने उद्योग और करियर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं। यह किसी भी नियोक्ता का विश्वास और सम्मान अर्जित करने में बहुत मददगार होगा।

आजीवन सीखने वाला किसे कहते हैं

Indeed.com के अनुसार, आजीवन शिक्षार्थी वह व्यक्ति है "जो अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद भी लम्बे समय तक नए कौशल और योग्यताएँ सीखना जारी रखता है।" इसमें दुनिया के बारे में जिज्ञासु मन का पोषण करना और अपनी रुचि वाले किसी भी क्षेत्र या विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा शामिल है।

आजीवन सीखना क्यों आवश्यक है

पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं या यहाँ तक कि, स्व–अध्ययन के माध्यम से, व्यक्ति नए कौशल प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया के बारे में अपनी समझ को समृद्ध कर सकते हैं और पूर्णता की भावना प्राप्त कर सकते हैं। आजीवन सीखने वाले लोग खुद और अपने जुनून के बारे में गहरी समझ हासिल करते हैं, जिससे उनका जीवन अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक हो जाता है। यह व्यक्तिगत विकास पर केन्द्रित होती है।

आजीवन शिक्षा से आपको जीवन और करियर में सफल होने में मिलने वाली मदद

यह आपको अपने जुनून को खोजने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने, बोरियत को कम करने, जीवन को और अधिक रोचक बनाने और भविष्य के अवसरों को खोलने में मदद कर सकता है। काम की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, और आजीवन सीखना आपके कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने की कुंजी हो सकती है।

आजीवन सीखने के लिए खतरे

अगर आजीवन सीखना आसान होता तो, हर कोई इसमें निपुण होता। हालांकि, वास्तव में कई मुद्दे आजीवन सीखने की प्रक्रिया को मुश्किल बनाते हैं। इसमें से कुछ मुद्दे सार्वभौमिक हैं, जबकि अन्य शिक्षकों के लिए अद्वितीय या बढ़े हुए हैं। जिसके तीन खतरे हैं :

1. समय की बाध्यता

"समय" शिक्षकों के सामने आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। अधिकांश शिक्षक दिन के दौरान छात्रों के साथ लम्बे समय तक काम करते हैं। थोड़ा सोते हैं और देर रात तक पाठ्यक्रम विकसित करने, विद्यालयी कर्तव्यों को पूरा करने में अपना समय बिताते हैं। एक अच्छे शिक्षक को विद्यालय समुदाय के लिए योगदान देने वाला सदस्य बनने हेतु अक्सर अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक अनिश्चित संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है और पेशे के लिए समर्पित समय का मतलब है शिक्षक के जीवन में कहीं और से समय निकालना।

2. व्यावसायिक विचार

शिक्षकों को आजीवन सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए वेब प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षक जिस तरह से ऑनलाईन व्यवहार करते हैं, वह नियोक्ता और सार्वजनिक जीवन के अधीन हो सकता है। कुछ पेशेवरों का विचार है कि शिक्षक इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग कैसे करते हैं और वे वास्तव में उनसे क्या लाभ उठा सकते है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए क्योंकि यह भी आजीवन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

3. स्वयं को आश्रय देना

यद्यपि हमने लोगों को अधिक कनेक्टेड, सूचित और सामाजिक रुप से संलग्न बनाने के लिए आधुनिक

प्रौद्योगिकियों की सकारात्मक क्षमताओं पर प्रकाश डाला है। लेकिन ऐसी सम्भावित स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं जब ये प्रौद्योगिकियां वास्तव में विचार की मर्यादा को बढ़ावा देने और नयी जानकारी और अनुभवों के सीमित सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिए खुद के खिलाफ हो सकती हों।

सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र संख्या (विचारणीय प्रश्न)

जागरण न्यूज के उत्तराखण्ड प्रदेश की खबर के अनुसार उत्तराखण्ड में 15 वर्ष में पाँच लाख से अधिक छात्रों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया है। सरकारी विद्यालयों में निरन्तर छात्र संख्या में गिरावट आयी है जबकि निजी विद्यालयों में इस अवधि में लगभग दो लाख विद्यार्थी बढ़े हैं। जिसकी मुख्य वजह अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों की पढ़ाई निजी विद्यालयों में एवं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाये जाने पर बल दिया जाना है।

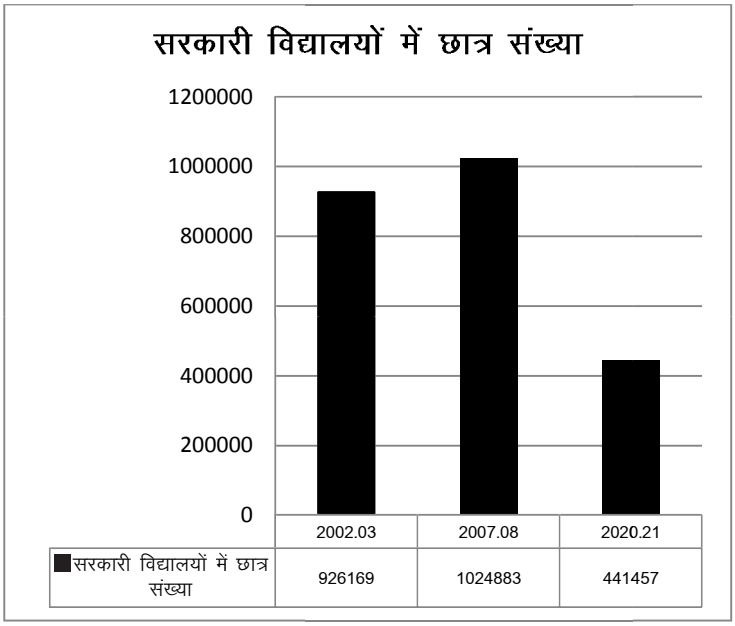

जागरण न्यूज द्वारा शिक्षा विभाग के उपरोक्त ग्राफ में दिए गए आंकड़ों को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि, वर्ष 2002–03 से वर्ष 2007–08 तक कक्षा एक से आँठवीं तक सरकारी विद्यालयों में 98,714 विद्यार्थी बढ़ गए। छात्र–संख्या 9,26,169 से बढ़कर 10,24,883 तक पहुँच गयी। इसके अगले ही वर्ष 2008–09 में 7000 से अधिक छात्र घट गए। इसके बाद से सरकारी विद्यालयों में छात्रों के घटने का यह क्रम लगातार चल रहा है। विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों एवं उनके अभिभावकों की रुचि निजी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम को अपनाकर विद्यालय में पढ़ाई किए जाने पर है।

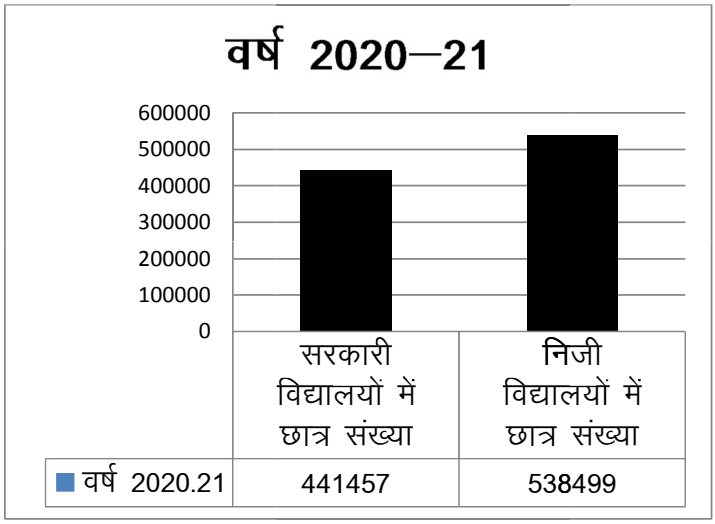

बीते वर्ष 2021 के आँकड़ों के अनुसार उत्तराखण्ड में कक्षा एक से आँठवीं तक सरकारी विद्यालयों की संख्या 14,183 है। इसमें छात्रसंख्या 4,41,457 है। वहीं निजी विद्यालयों की संख्या मात्र 4,313 है, जबकि इनमें छात्र संख्या 5,38,499 रही जो कि, सरकारी विद्यालयों की तुलना में अधिक है।

उपरोक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि, औपचारिक शिक्षा हेतु विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करके कहीं अधिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु तैयार हो जाता है और आजीवन शिक्षा प्राप्त करता रहता है। जबकि हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का दायरा सीमित रहता है। जिसकी वजह यह भी है कि, बी.टैक–एम.टैक, एम.बी.ए., मेडिकल की पढ़ाई, कम्प्यूटर प्रोफेशनल की डिग्री आदि प्राप्त करने हेतु पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में बने होते हैं और हिन्दी भाषा में इनका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। अतः अपने कैरियर को प्राप्त करने के लिए छात्र–छात्राओं द्वारा निजी विद्यालय जहाँ अंग्रेजी भाषा माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, में अध्ययन करना अधिक पसन्द किया जाता है। हिन्दी भाषा में शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय चाहे सरकारी विद्यालय हों अथवा अन्य, जो हिन्दी माध्यम से संचालित होते हों, वहां पढ़ाई करना छात्र उचित नहीं समझते हैं।

वर्ष 2002–03 और इसके बाद उत्तराखण्ड प्रदेश में एक से आठवीं तक प्रारम्भिक शिक्षा के सरकारी विद्यालयों और उनकी छात्र संख्या

वर्ष	विद्यालय	कार्यरत शिक्षक	छात्र संख्या
2002–03	12761	30890	926169
2007–08	15059	35710	1024883
2012–13	15286	34676	828938
2017–18	15124	34161	643974
2021–22	14183	31054	441457

उपरोक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 2002–03 में जहां शिक्षकों की संख्या कम थी सरकार द्वारा वहाँ नए शिक्षक/अतिथि शिक्षकों की भर्ती, प्रमोशन आदि के माध्यम से शिक्षकों की कमी को दूर किए जाने के भरसक प्रयास किए हैं, ताकि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सम्पूर्ण विषयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकें। वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड राज्य में छात्रसंख्या की बात करें तो सन् 2007–08 में सरकारी विद्यालयों में नामांकित छात्रसंख्या सर्वाधिक बढ़ी हुई दिखती है। किन्तु हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने को आजीवन शिक्षा प्राप्त करने के क्षेत्र में बाधा समझने के कारण यहां सन् 2007–08 के उपरान्त छात्रसंख्या निरन्त घटती जा रही है।

वर्तमान समय में अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने को छात्रों एवं उनके अभिभावकों द्वारा अच्छा माना गया है। उनका मानना है कि, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों को आजीवन शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। यही कारण है कि वर्ष 2021–22 में कई सरकारी विद्यालय बन्द हुए हैं।

भारत में शिक्षा के माध्यमिक स्तर के अन्तर्गत लिंग के आधार पर औसत वार्षिक ड्रापआउट दर (2021–22)

श्रेत्र	औसत वार्षिक ड्रापआउट दर प्रतिशत में		
	माध्यमिक कक्षाएं (9 से 10)		
	लड़के	लड़कियाँ	औसत
भारत	13.0	12.3	12.6

उपरोक्त आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021–22 में माध्यमिक स्तर पर औसत वार्षिक ड्रापआऊट दर लड़कियों में लड़कों के मुताबिक कम अर्थात् लड़कियों की 12.3 प्रतिशत आंकी गयी जबकि लड़कों की ड्रापआऊट दर 13 प्रतिशत यानि लड़कियों से अधिक आंकी गयी है। लड़के माध्यमिक कक्षाओं की शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त विद्यालय की चाहर दीवारी में शिक्षा प्राप्त करना छोड़ देते हैं और समाज के रहकर आजीवन शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं। माध्यमिक शिक्षा का विद्यार्थी आजीवन शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालय की चाहर दीवारी से बाहर सामाजिक परिवेश में पूर्णतया सीखने योग्य हो जाता है। फिर चाहे ग्रामीण परिवेश में खेतीबाड़ी करना सीखे अथवा स्वाध्याय करते हुए परिवार के लिए आमदनी करना सीखे, या फिर गलत विसंगति में पड़ जाए, इन सब में वह जो भी सीख रहा है वह विद्यालय की चाहर दीवारी के बाहर सामाजिक परिवेश में आजीवन शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत सीखता है।

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 40

उत्तराखण्ड एवं उसके पड़ोसी राज्यों में शिक्षा के माध्यमिक स्तर के अन्तर्गत लिंग के आधार पर औसत वार्षिक ड्रापआउट दर (2021–22)

राज्य	औसत वार्षिक ड्रापआउट दर प्रतिशत में		
	माध्यमिक कक्षाएं (9 से 10)		
	लड़के	लड़कियाँ	औसत
उत्तराखण्ड	5.4	4.6	5.0
उत्तर प्रदेश	9.5	10.0	9.7
हिमाचल प्रदेश	2.0	0.9	1.5
हरियाणा	6.7	4.9	5.9

उपरोक्त आँकड़े बताते हैं कि, हिमाचल प्रदेश में वार्षिक ड्रापआऊट प्रतिशत सबसे कम है, उसके बाद उत्तराखण्ड दूसरे स्थान पर है, हरियाणा का तीसरा स्थान है और उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उत्तराखण्ड राज्य 9 नवम्बर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर अस्तित्व में आया था। इसलिए यहां उत्तराखण्ड राज्य व उसके पड़ोसी राज्य यथा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा को दिखाया गया है। उपरोक्त आँकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं में ड्रापआऊट स्तर सबसे कम है अर्थात् यहां लड़के–लड़कियों द्वारा माध्यमिक शिक्षा की पूरी पढ़ाई की जाती है। जबकि, उत्तराखण्ड राज्य दूसरे स्थान पर है। उत्तराखण्ड राज्य में दो मण्डल हैं गढ़वाल मण्डल और कुमाऊँ मण्डल। गढ़वाल मण्डल की बात कहें तो, यहाँ पर लड़कियों की विशेषकर इण्टर के बाद शादी कर दी जाती है जबकि लड़के हाईस्कूल अथवा इण्टर करने के उपरान्त इण्डियन आर्मी में भर्ती हेतु तैयारी करने लगते हैं। भर्ती होने के उपरान्त आमदनी होने लगती है तो वे लड़के अपनी पढ़ाई पर पुनः ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। अतः उत्तराखण्ड के औसत वार्षिक ड्रापआउट दर प्रतिशत में कमी आनी चाहिए।

उत्तराखण्ड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुश्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखण्ड में बेटियों को उच्च शिक्षा स्तरीय पढ़ाई हेतु प्रत्येक वर्ष कुछ धनराशि देने का फैसला लिया गया है। दरअसल उत्तराखण्ड की दो देवियाँ नन्दा और गौरा है जिनके नाम पर नन्दा गौरा योजना अस्तित्व में आयी हैं। इसमें सरकार द्वारा बेटियों के जन्म पर 11,000/– रुपये की धनराशि और उसके बाद कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के उपरान्त 51,000/– रुपये दिया जाता है। लेकिन अब इसमें सरकार बदलाव करने जा रही है। सरकार की मंशा है कि, इस योजना को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ते हुए हर वर्ष जो बेटियां इस योजना के तहत लाभान्वित होने की पात्रता रखती हैं, उनके बचत खाते में कुछ धनराशि दी जाए। जो 10,000/– रुपये मात्र या इससे अधिक हो सकती है। यह धनराशि बेटियों को उच्च शिक्षा में प्रेरित करने के लिए दी जाएगी जिससे उच्च शिक्षा में उनका प्रतिभाग बढ़ेगा।

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 41

निष्कर्ष

आजीवन सीखते रहना सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन यह शिक्षकों के लिए विशेष रुप से महत्त्वपूर्ण है, जिन्हें अपने छात्रों के लिए आजीवन सीखने के कौशल और स्वभाव का मॉडल बनाना होता है। उन्हें ऐसे पेशे में काम करना चाहिए जो नए नवाचारों को प्रोत्साहित करता हो। आधुनिक तकनीक, विशेष रुप से वेब तकनीक, संसाधनों तक शिक्षकों की पहुँच में सुधार करके और दूर–दराज के पेशेवरों के बीच सामाजिक सम्बन्धों का समर्थन करके अभूतपूर्व तरीके से आजीवन सीखते रहने तथा इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाती है।

References:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning
2. https://google.com/search
3. https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Secondary_education
4. https://uou.ac.in/sites/default/files/slm/BAED(N)-201.pdf
5. https://des.uk.gov.in/department6/library_file/file-19-05-2022-10-21-54.pdf
6. https://schooleducation.uk.gov.in/files/MADHYMIK_SCHOOLS.pdf
7. https://schooleducation.uk.gov.in/files/ENROLLMENT_SECONDARY.pdf
8. https://www.etvbharat.com/hindi/uttarakhand/state/pauri-garhwal/14-government-schools-closed-due-to-lack-of-students-in-pauri/uttarakhand
9. https://navbharattimes.indiatimes.com/india/in-about-a-dozen-states-of-the-country-the-dropout-rate-at-the-secondary-level-is-higher-than-the-national-average-/articleshow
10. https://haldwanilive.com/child-tracking-will-tell-why-the-school-students-left-their-studies-mid-way/
11. https://educationforallinindia.com/dropout-rates-in-schools-in-india/
12. https://www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-uttarakhand-news-more-than-five-lakh-students-drop-out-government-school-in-15-years-23071302.html
13. https://uaacademy.com/
14. https://en.wikipedia.org/wiki/madhamik_shiksha_ayog
15. https://educationforallinindia.com/dropout-rates-in -schools-in-india/
16. https://www.amarujala.com/dehradun/girls-education-uttarakhand-government-will-give-some-amount-every-year-to-girls-for-higher-education-2024-09-09
17. https://www.linkedin.com/pulse/nurturing-minds-dynamic-teaching-learning-process-devaraj/

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 42

हमारे लेखक

श्री राजेंद्र जोशी
तपसी भवन
नाथुसरबास, बंगुला नगर
बीकानेर
राजस्थान– 334 004

डॉ. चित्ररेखा
असिस्टेंट प्रोफेसर
जिलाशिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(दक्षिण–पश्चिम)
घुमम्नहेडा
नई दिल्ली–110073

श्री मनोज कुमार
प्रवक्ता (वाणिज्य)
गवर्नमेंट. सर्वोदय (को.एड)
एस. एस. एस,
सेक्टर– 6, आर के पुरम
नई दिल्ली– 110022

डॉ. नवीन कुमार मोक्टा
डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंटरी एजूकेशन
नेशनल कॉउंसिल ऑफ रिर्सच एंड ट्रेनिंग
(एनसीईआरटी), श्री अरविंदो मार्ग
नई दिल्ली– 110016

डॉ. मोनू सिंह गुर्जर
एसिस्टेंट प्रोफेसर
डी.ई.पी.एफ.ई
नेशनल कॉउंसिल ऑफ रिर्सच एंड ट्रेनिंग
(एनसीईआरटी), श्री अरविंदो मार्ग
नई दिल्ली– 110016

डॉ. खुशबू
रिसोर्स पर्सन
अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन
राजसमंद, राजस्थान

डॉ. उषा शर्मा
प्रोफेसर इंचार्ज
सीएनसीएल
नेशनल कॉउंसिल ऑफ रिर्सच एंड ट्रेनिंग
(एनसीईआरटी),
श्री अरविंदो मार्ग
नई दिल्ली– 110016

डॉ. सौरभ मिश्र
सहायक अध्यापक –कला
राजकीय इण्टरकालेज धोबी घाट,
पौड़ी गढ़वाल
उत्तराखण्ड– 246149

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 43

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

संरक्षक
प्रो. एस. वाय. शाह

अध्यक्ष
प्रो. एल. राजा

उपाध्यक्ष
प्रो. अशोक भट्टाचार्य
प्रो. वी. रेघु
प्रो. पी. आदिनारायण रेड्डी
प्रो. सरोज गर्ग
श्री ए. एच. खान

महासचिव
श्री सुरेश खण्डेलवाल

कोषाध्यक्ष
प्रो. राजेश

संयुक्त सचिव
श्री मृणाल पन्त

सह–सचिव
डॉ. डी. उमा देवी
श्री राजेन्द्र जोशी
डॉ. आशा वर्मा
श्री वाई. एन. शंकरेगौडा

सदस्य
श्रीमती निशात फारूख
डॉ. गोरखनाथ नामदेव कांबले
श्री दुर्लभ चेतिया
डॉ. नीतीश आनंद
श्री सुधाकर मानसिंह सेंगर
श्री वी. उमर कोया
प्रो. ऋतु त्रिवेदी
डॉ. चयनिका उन्याल

सहयोजित सदस्य
डॉ. एस.वी.ए. प्रकाश
डॉ. अजय कुमार
डॉ. मनोज कुमार बेहरा

66th All India Adult Education Conference

Theme: **"Fostering Adult and Lifelong Learning for All"**

January 21 - 23, 2026

Venue: **Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) – Deemed to be University, Bhubaneswar, Odisha**

The 66th All India Adult Education Conference will be held at Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) – Deemed to be University, Bhubaneswar, Odisha from January 21-23, 2026. The conference will be jointly organized by the Indian Adult Education Association, New Delhi and the Kalinga Institute of Social Sciences, Bhubneswar.

Sub-themes are:

1. NEP 2020: Conceptual Framework for Adult and Lifelong Learning for All & Full Employment
2. Adult and Lifelong Learning for All for Full Employment: Role of Academic Institutions
3. Decoding Multidisciplinary Approach for Adult and Lifelong Learning for Sustainable Development
4. Role of Community Organizations for Upgrading Adult and Lifelong Learning
5. ULLAS & Adult and Lifelong Learning for All
6. Harnessing RPL for Adult and Lifelong Learning for Full Employment
7. Promotion of Adult and Lifelong Learning by the Government
8. Women Empowerment and Lifelong Learning
9. Opportunities and Challenges for Lifelong Learning
10. Reviving Sacred Groves through Participatory Adult Learning and Local Governance
11. Gender justice and Literacy Programme for Tribal Women
12. Tribal Language, Literature, and Adult Learning for Cultural Continuity
13. Promoting and Preserving Marginal Literature: An Adult Learning Initiative
14. Preservation of Tribal Heritage through Adult Education
15. Heritage Ecologies among Indian Indigenous Communities

Abstract Submission:

Submit by **December 31, 2025** (max. 500 words) via 66aiaecbhubaneswar26@gmail.com or directoriaea@gmail.com.

Full Paper Submission:

Due by **January 15, 2026**. (Format: MS Word, Times New Roman, 12pt, 1.5 spacing).

Registration Period	Delegates	Students
Till December 31, 2025	Rs.2500/-	Rs.1500/-
January 1 - 15, 2026	Rs. 3000/-	Rs.2000/-

Note: For current students/research scholars, and faculty members of Kalinga Institute of Social Sciences, Deemed to be University, the registration fees are set at ₹500 and ₹1,000 respectively, to encourage broad participation and engagement.

Food and accommodation will be provided from the evening of 20th January 2026 to 24th January 2026 morning. Local participants will not be provided accommodation and will be served lunch and tea only.

Mode of Payment

Demand Draft drawn in favour of "Indian Adult Education Association" payable at New Delhi may be sent by post to Indian Adult Education Association, 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002.

Details for NEFT

Name	:	Indian Adult Education Association
Bank	:	Canara Bank
Branch	:	DTC I.P. Depot I.P. Estate, New Delhi
A/c No	:	91262010001900
IFSC Code	:	CNRB0019126

QR code is also given for payments with an e-mail (directoriaea@gmail.com) with complete information of payment.

All are cordially invited to attend the conference.

Kindly confirm your participation to IAEA by sending your complete postal address with pin code (both personal and official), e-mail ID, and mobile number through e-mail: directoriaea@gmail.com and copy to iaeadelhi@gmail.com

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 45

PS Jul-Dec'25_feb'11 pror shiksha.qxd 12/23/2025 12:42 PM Page 46

"किसी राष्ट्र की प्रगति उसकी महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करती है, उनकी उन्नति उस राष्ट्र के भाग्य को आकार देती है।"

– राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के लिए सुरेश खण्डेलवाल द्वारा 17–बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा मैसर्स – ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली–2 से मुद्रित।
सम्पादक : सुरेश खण्डेलवाल